वार्षिक रिपोर्ट
1990-91

भारत सरकार
योजना आयोग

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	वर्ष 1990-91 : एक सिंहावलोकन	1
अध्याय 2	भूमिका संगठन तथा कार्य	4
अध्याय 3	योजना की प्रगति	10
अध्याय 4	मुख्य कार्यकलाप—एक परिप्रेक्ष्य	32
अध्याय 5	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	73
अध्याय 6	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र	75
अध्याय 7	अनुदान सहायता	79
अनुबंध I	अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय के नाम जिन्हें 1990-91 (दिसम्बर 1990 तक) अनुदान सहायता दी गई	80
अनुबंध II	1990-91 के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों तथा प्राप्त हुई रिपोर्टों की सूची	82
अनुबंध III	योजना आयोग का संगठन चार्ट	83

अध्याय–1

वर्ष 1990-91 : एक सिंहावलोकन

नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के लिए वर्ष 1990-91 दहलीज वर्ष था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि गत वर्ष समाप्त हो गई थी, उसने नई योजना को तैयार करने हेतु एक आशाजनक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। सातवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था का समग्र निष्पादन, 5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 5.6 प्रतिशत औसत वार्षिक संवृद्धि दर (कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का) के साथ प्रभावपूर्ण रहा। योजना के पहले तीन वर्षों में खराब मानसून के बावजूद भी बाकी दो वर्षों में कृषि अच्छी रही। समग्र औद्योगिक उत्पादन ने भी पूर्व वर्षों की संवृद्धि गति को बरकरार रखा। आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रक के निष्पादन ने भी सातवीं योजना की सफलता में सहयोग प्रदान किया। साथ ही जीवन के गुणात्मक पहलू में भी सुधार आया। कुल जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में गरीबों की संख्या को वर्ष 1983-84 में 37 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 1987-88 में 30 प्रतिशत पर लाया गया। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर पंजीयन आंकड़े क्रमशः 9.89 करोड़ तथा 3.25 करोड़ तक पहुंच गए थे।

1.2 चिन्ता के कुछ क्षेत्र भी उभर कर सामने आए जिन पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वांछित स्तर तक अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में सक्षम नहीं हुए। राजकोषीय घाटा कायम रहा तथा बढ़ते हुए गैर-योजना व्यय ने विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित किया। बढ़ते हुए चालू खाते के घाटे ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया।

1.3 समीक्षाधीन वर्ष 1990-91 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में (जी डी पी) 5 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इस वर्ष निरन्तर तीसरी बार अच्छा मानसून रहा। उम्मीद है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में 176.5 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक वृद्धि हो सकती है। लोक उपयोगिताओं द्वारा विद्युत का उत्पादन वर्ष 1989-90 में 245.40 बिलियन यूनिटों की तुलना में वर्ष 1990-91 में 264.14 बिलियन यूनिट था। कोयले का उत्पादन वर्ष 1989-90 में 200.89 मि. टन की तुलना में 211.73 मि. टन रहा। पेट्रोलियम का कच्चा उत्पादन 51.77 मि. टन था। रेलवे ने सिविल अड़चनों के कारण भाड़ा यातायात की हानि, डीजल की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद राजस्व अर्जक माल यातायात के संदर्भ में संवृद्धि दर को बनाए रखा। औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन वित्तीय वर्ष 1990-91 के प्रथम दस महीनों के लिए औसत सूचकांक—205.00 के साथ जो कि पूर्व वर्ष की समान अवधि के लिए 189.10 सूचकांक की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक था, उत्साहवर्द्धक रहा।

1.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान योजना आयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने से संबंधित कार्यों के साथ-साथ वर्ष 1990-91 के लिए विस्तृत वार्षिक योजना और वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों के लिए योजना आवंटन को अंतिम रूप देने में पूरी तरह से व्यस्त रहा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जून, 1990 में अपनी 41वीं बैठक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र का अनुमोदन किया था। आठवीं

योजना का दृष्टिकोण-पत्र जिसका शीर्षक है "सामाजिक परिवर्तन की ओर" इसमें विकास नीति के इस तरीके से पुर्नभिमुखीकरण की परिकल्पना की गई है, जिससे कि यह गरीबों की तात्कालिक और अति आवश्यक जरूरतों, जैसे कि रोजगार के अवसर, जीविका के पर्याप्त साधनों और दक्षता तक पहुंच और खाद्य-आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल संबंधी सेवाएं तथा आवास जैसी अन्य मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता दें। इसमें लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी सहित आयोजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की भी परिकल्पना की गई है। साथ ही इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि "मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता की जरूरतें तथा उनके जीवन की गुणवत्ता, आयोजना का प्रमुख लक्ष्य हो हालांकि योजना के द्वारा तीव्र समग्र विकास तथा अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा आधारभूत संरचनात्मक आधार को सुदृढ़ करने की भी कोशिश की जाती है। विशेष रूप से राज्य को अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार सृजन करने तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बुनियादी जीवनस्तर सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी के दायित्व को आवश्यक रूप से लेना चाहिए। योजनाएं पारिस्थितिकीय दृष्टि से संपोषणीय विकास की जरूरतों के प्रति संवेदी होनी चाहिए।"

1.5 आठवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की 22 प्रतिशत औसत बचत दर, सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत की सीमा तक विदेशों से पूंजी के अंतर्वाह तथा निर्यातों में 12 प्रतिशत की संवृद्धि को प्राप्त करके हासिल करने का प्रस्ताव है।

1.6 पूर्ण योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1990 में जिस पत्र का अनुमोदन किया गया था उसमें वित्तीय आयामों, क्षेत्रकीय आवंटनों के साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के तुलनात्मक आकार को तैयार किया गया था। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के लिए उनके प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए पत्र जारी किये गए थे। दृष्टिकोण-पत्र पर आधारित उद्देश्यों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों, परिमाणात्मक आयामों, अंतर्क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं तथा रोजगार, विदेशी मुद्रा, तथा पर्यावरणीय आयामों से संबंधित पहलुओं को रेखांकित करते हुए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत भी उन्हें उपलब्ध कराए गए थे।

1.7 अक्टूबर, 1990 में आयोजित 42वीं बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु विद्यमान आशोधित गाडगिल फार्मूले के संशोधन के लिए दिए गए सुझावों पर विचार किया था। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् बैठक में विद्यमान आशोधित गाडगिल फार्मूले में संशोधनों की घोषणा की गई थी।

1.8 वार्षिक योजना, 1991-92 के लिए प्रस्तावों के साथ-साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजना प्रस्तावों पर सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श सितम्बर माह से दिसम्बर, 1990 के दौरान किया गया। इसी प्रकार राज्य सरकारों के साथ उनके संसाधनों तथा कार्यक्रमों पर सरकारी स्तर का विचार-विमर्श भी आयोजित किया गया था।

1.9 जनता दल (स) की सरकार बनने के बाद 11 दिसम्बर, 1990 को योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठित आयोग की पहली बैठक प्रधानमंत्री तथा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 24-12-90 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में आठवीं योजना के अतिशीघ्र निर्माण के लिए अपेक्षित आगे की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

1.10 आयोग की दूसरी बैठक प्रधानमंत्री तथा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 26 फरवरी, 1991 को

आयोजित की गई थी। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुद्दों पर भी विचार किया गया, जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण से संबंधित हैं :—

(i) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता का वितरण (गाड़गिल फार्मूला), और

(ii) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के कुछ पहलू—योजना का आकार तथा संवृद्धि दर।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए जिस फार्मूले की घोषणा राष्ट्रीय विकास परिषद की 42वीं बैठक में की गई थी, उस पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाए तथा तदनन्तर उसे पुनर्विचार हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि आठवीं योजना के लिए उच्च संवृद्धि दर तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए उच्च परिव्यय की संभावनाओं का पता लगाया जाए।

1.11 केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ सरकारी स्तर के विचार-विमर्शों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए विचार-विमर्शों के आधार पर योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1991-92 केन्द्र तथा वर्ष 1991-92 के लिए राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए आवंटनों को अंतिम रूप दिया।

अध्याय–2

भूमिका, संगठन एवं कार्य

योजना आयोग का गठन भारत सरकार के संकल्प के तहत मार्च, 1950 में किया गया था।

2.2 भारत में आयोजना— प्रक्रिया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संचालित की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा इसमें केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं। इस परिषद् में दिल्ली-प्रशासन का प्रतिनिधित्व उप राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में कार्यरत योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श करके पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है तथा इनके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। भारतीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय।

2.3 योजना आयोग संगठन अपनी भूमिका शीर्ष स्तर पर कार्य करने वाले एक सलाहकार निकाय के रूप में निभाता है।

कार्य

2.4 भारत सरकार के उपरोक्त संकल्प द्वारा योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

1. तकनीकी कार्मिक सहित देश की भौतिक, पूंजीगत तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना। इन संसाधनों में से उनको प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाना, जो राष्ट्र की जरूरतों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं।
2. देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना।
3. प्राथमिकताओं के निर्धारण के संबंध में उन चरणों को निश्चित करना, जिनमें योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक चरण को सम्यक् रूप से पूरा करने हेतु संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना।
4. आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कारकों को निर्दिष्ट करना तथा उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें मौजूदा सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना के सफल निष्पादन हेतु स्थापित किया जाना चाहिए।
5. तंत्र के स्वरूप का निर्धारण करना, जो अपने सभी पहलुओं में योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।
6. योजना के प्रत्येक चरण में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा नीति और

उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जिससे इस प्रकार का मूल्यांकन करना आवश्यक प्रतीत हो।

7. इस प्रकार की अन्तरिम अथवा आनुषंगिक सिफारिशें करना, जो या तो इसको सौंपे गए कार्य के निपटान को सरल बनाने या चालू आर्थिक दशाओं, चालू नीतियों, उपायों तथा, विकास कार्यक्रमों के संबंध में विचार करने अथवा इस प्रकार की विशेष समस्याओं की जांच करने जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा सलाह के लिए इसे भेजी जाएं, के संबंध में उपयुक्त प्रतीत होती हैं।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली के तहत योजना आयोग को निम्नलिखित मामलों के संबंध में जिम्मेदारी सौंपी गई है :

(क) राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक सहयोग,

(ख) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम,

(ग) भावी योजना,

(घ) जनशक्ति अनुसंधान संस्थान और

(ङ) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र।

आयोग का गठन

2.5 दिनांक 31-3-1991 को योजना आयोग का गठन निम्नलिखित था :

1. श्री चन्द्रशेखर, प्रधान मंत्री — अध्यक्ष
2. श्री मोहन धारिया — उपाध्यक्ष

सदस्य

1. श्री देवीलाल, उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री
2. श्री यशवन्त सिन्हा, वित्त मंत्री
3. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, विधि एवं न्याय के अतिरिक्त कार्यभार सहित वाणिज्य मंत्री
4. श्री कमल मोरारका, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
5. प्रो शेर सिंह
6. प्रो जी ·एस ·भल्ला
7. प्रो एस ·आर· हाशिम
8. श्रीमती ज्योत्सना बेन शाह
9. प्रो सी ·एन ·आर· राव

10. डा ·डी ·स्वामीनाथन
11. श्री ए· एन· वर्मा (सदस्य सचिव)

2.6 जनता दल (स) सरकार बनने से पूर्व योजना आयोग का गठन निम्न प्रकार था :

1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री मधु दण्डवते	उपाध्यक्ष एवं वित्त मंत्री

सदस्य

1. श्री अजीत सिंह, उद्योग मंत्री
2. डा जे· डी ·सेठी
3. डा ·रजनी कोठारी
4. श्री एल· सी ·जैन
5. श्रीमती इला भट्ट
6. डा ·अरुण घोष
7. डा ·ए· वैद्यनाथन
8. श्री रहमतुल्ला अंसारी
9. श्री टी एन शेषन
10. डा हरस्वरूप सिंह

2.7 श्री रामकृष्ण हेगड़े ने 5 जुलाई, 1991 तक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

2.8 श्री पी बी कृष्णास्वामी ने दिनांक 10-7-1989 से 12-12-1990 तक सचिव, योजना आयोग के रूप में कार्य किया।

2.9 प्रधान मंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में इसके कार्य को देखते हैं तथा नीतिगत सभी मुख्य मुद्दों पर आयोग को निर्देश देते हैं।

2.10 दिनांक 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध III में दिया गया है।

संगठनात्मक ढांचा

2.11 योजना आयोग योजना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयोग अनेक तकनीकी/विषय प्रभागों के जरिए कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का अध्यक्ष प्रधान सलाहकार/सलाहकार/अतिरिक्त सलाहकार/मुख्य/संयुक्त सचिव/संयुक्त सलाहकार के पदनामित एक वरिष्ठ अधिकारी होता है तथा जो सदस्य सचिव/सचिव, योजना आयोग के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं मार्ग-निर्देशन में कार्य करता है।

2.12 योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य विस्तृत योजना निरूपण के मामले में एक संयुक्त संस्था के रूप में कार्य करते हैं। वे योजना आयोग में विषय से संबंधित प्रभागों को योजना दृष्टिकोण की तैयारी, पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के लिए अपनाये गए विभिन्न कार्य निष्पादनों में दक्ष परामर्श तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका दक्ष मार्गदर्शन योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा स्कीमों की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए विषय-संबंधित प्रभागों को भी उपलब्ध है।

2.13 आयोग में सेवा/प्रशासनिक मामलों की देखभाल करने के लिए भी अनेक प्रशासनिक अनुभाग हैं।

2.14 योजना विभाग में निम्नलिखित संगठन शामिल हैं :

(क) योजना आयोग

(ख) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान-केन्द्र

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

2.15 आयोग में विभिन्न प्रभाग मुख्य रूप से दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(क) सामान्य प्रभाग जिनका समग्र अर्थव्यवस्था के पहलुओं से संबंध है, और

(ख) विषय-संबंधित प्रभाग जिनका विकास के विशेषीकृत क्षेत्रों से संबंध होता है।

2.16 योजना आयोग का भावी योजना प्रभाग परिव्यय/निवेश अनुमानों तथा तदनुरूप सकल उत्पादन अनुमानों के रूप में योजना के दीर्घावधिक तथा मध्यावधिक उद्देश्यों, प्राथमिकताओं तथा संवृद्धि दरों के बारे में परिमाणात्मक आकारों को प्रदान करता है। यह प्रभाग अर्थ-व्यवस्था के बारे में अल्पावधिक अनुमानों का भी पता लगाता है।

2.17 राज्य योजना प्रभाग राज्य योजनाओं के निरूपण तथा इन्हें अन्तिम रूप देने के बारे में समन्वय कार्य करता है। योजना आयोग के अन्तर्गत कार्य के समग्र समन्वय की जिम्मेवारी योजना समन्वय प्रभाग की है।

2.18 योजना आयोग में कार्य कर रहे सामान्य प्रभाग हैं :

1. आर्थिक प्रभाग, वित्तीय संसाधन प्रभाग, विकास नीति प्रभाग, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एकक
2. भावी योजना प्रभाग
3. श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति प्रभाग
4. सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग
5. बहुद्देशीय स्तर योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य योजना प्रभाग
6. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग
7. प्रबोधन तथा सूचना प्रभाग
8. योजना समन्वय प्रभाग

विषय से संबंधित प्रभाग ये हैं :

1. कृषि प्रभाग
2. पिछड़ा वर्ग प्रभाग
3. संचार तथा सूचना प्रभाग
4. शिक्षा प्रभाग
5. ऊर्जा नीति प्रभाग
6. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रभाग
7. आवास, शहरी विकास तथा जल आपूर्ति प्रभाग
8. भारत-जापान समिति
9. उद्योग तथा खनिज प्रभाग
10. सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास प्रभाग
11. विद्युत तथा ऊर्जा प्रभाग
12. ग्रामीण विकास प्रभाग
13. ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग
14. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रभाग
15. समाज कल्याण तथा पोषाहार प्रभाग
16. परिवहन प्रभाग
17. ग्राम तथा लघु उद्योग प्रभाग
18. पश्चिमी घाट सचिवालय

2.19 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन योजनाकारों तथा कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को पुनर्निवेशन (फीड बैक) सूचना प्रदान करने के संदर्भ में चुने हुए योजना कार्यक्रमों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए मूल्यांकन कार्य करता है।

प्रशासन

2.20 ऊपर वर्णित प्रभागों जो मुख्यतः योजना निरूपण, प्रबोधन तथा मूल्यांकन से संबंधित है, के अलावा योजना आयोग में सेवा शाखाएं हैं जो प्रशासन, लेखा तथा सामान्य सेवा मामलों से संबंधित हैं।

2.21 सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग संबंधी कार्य को भी राजभाषा यूनिट द्वारा निदेशक (प्रशा) की देखरेख में मानिटर किया जाता है।

2.22 सरकारी नीति के अनुपालन में योजना आयोग के कर्मचारियों के लिए उनके अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने तथा शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण मशीनरी की भी स्थापना की गई है।

2.23 योजना आयोग में एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जिसमें अनेक विषयों से संबंधित और विशेषकर विकासात्मक आयोजना संबंधी पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा जर्नलों का वृहद संकलन है। पुस्तकालय एक सलाहकार परिषद द्वारा शासित है जिसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हैं।

अध्याय–3

योजना की प्रगति

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विगत का मूल्यांकन, प्राप्त अनुभव के प्रकाश में मूलभूत राष्ट्रीय नीतियों का पुनर्निरूपण तथा भविष्य की कार्यनीति के लिए एक मार्गदर्शी मानचित्र तैयार करना अंतर्निहित है। तथापि विकास की इस रूपरेखा को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परिवर्तनशील स्थितियों तथा प्राथमिकताओं का ध्यान रखने के लिए अनुकूलतम बनाये जाने की आवश्यकता होती है। इस लोचशीलता को प्रदान करने हेतु पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं की क्रियाविधि के माध्यम से अमल में लाया जाता है, जिन्हें प्रत्येक वर्ष पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई विस्तृत रूपरेखा के अन्तर्गत यथा अपेक्षित दिशा परिवर्तनों को समाहित करते हुए प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। वार्षिक योजना वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के ब्यौरे को निर्दिष्ट करते हुए उस वर्ष के लिए योजना हेतु बजट प्रावधानों के लिए आधार भी प्रदान करता है।

वार्षिक योजनाएं

3.2 प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना का निर्माण योजना आयोग को पूर्व वर्ष के योजना कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने तथा दीर्घावधिक संवृद्धि लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक कार्यनीति संशोधनों का सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है। योजना आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष की तृतीय तिमाही में आगामी वर्ष के लिए वार्षिक योजना के निर्माण के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के अल्पावधिक उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए सूचित करता है। राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वास्तविक लक्ष्यों तथा तदनुरूप आवश्यक वित्तीय परिव्ययों सहित अपने योजना प्रस्तावों को भेजने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित परिव्यय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, भेजने का अनुरोध किया जाता है।

3.3 वार्षिक योजना प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त संसाधन अनुमानों पर योजना आयोग में नवम्बर-दिसम्बर के दौरान विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। इसी प्रकार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उनके वार्षिक योजना प्रस्तावों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श होता है। योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त ब्यौरेवार सूचना के आधार पर वित्तीय तथा वास्तविक दोनों रूपों में प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा भी करता है।

3.4 राज्य योजनाओं के संबंध में उपाध्यक्ष तथा राज्य के मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों के बीच बैठक में तथा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित केन्द्रीय योजना के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ सचिव, योजना आयोग की बैठक में स्वीकार किए गए योजना परिव्यय आगामी वर्ष के लिए योजना हेतु बजट प्रावधान का आधार बनते हैं।

वार्षिक योजना 1989-90 की समीक्षा

3.5 वर्ष 1989-90 के दौरान अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण, खाद्यान्न उत्पादन 170.60 मिलियन टन, 1988-89 में हुए उत्पादन से लगभग 0.7 मिलियन टन अधिक हुआ। इसी प्रकार गन्ना, कपास, जूट तथा मेस्टा का उत्पादन 1988-89 की तुलना में 1989-90 में अपेक्षाकृत अधिक था।

3.6 1989-90 में 8.6 प्रतिशत की औद्योगिक संवृद्धि 1988-89 के दौरान हुए कार्य निष्पादन के लगभग बराबर थी।

3.7 1988-89 में 195 मिलियन टन कोयला उत्पादन की तुलना में 1989-90 के दौरान लगभग 201 मिलियन टन था। सार्वजनिक उपयोगिताओं से विद्युत का उत्पादन 245 विलियन यूनिट था जो पूर्व वर्ष से 10.9 प्रतिशत अधिक था। कच्चे तेल का उत्पादन 1988-89 में 32 मिलियन टन की तुलना में 34 मिलियन टन हुआ। रेलवे ने पूर्व वर्ष की तुलना में मालभाड़े की राजस्व प्राप्ति के रूप में 2.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर रिकार्ड की।

3.8 1989-90 में, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में वास्तविक रूप से 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन के सूचकांक में 1.7 प्रतिशत की अल्प वृद्धि हुई जबकि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.9 योजना परिव्यय की तुलना में 1989-90 के लिए वार्षिक योजना के संशोधित अनुमानों को नीचे संक्षेप में दिया गया है :

वार्षिक योजना 1989-90

(करोड़ रुपए)

	योजना परिव्यय	संशोधित अनुमान
केन्द्र	34445.97	35712.93
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	23151.55	21303.96
कुल	57597.52	57016.89

इसके अलावा 100.00 करोड़ रु॰ की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार मूल परिव्ययों के साथ व्यय की प्रगति के ब्यौरे 3.4 (क) के जरिए अनुबन्ध 3.1 में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 1990-91

3.10 वार्षिक योजना 1990-91 में वर्तमान कीमतों पर 64716.80 करोड़ रु॰ के सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय की परिकल्पना की गयी जो पूर्व वार्षिक योजना की तुलना में 12.36 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है।

3.11 केन्द्रीय क्षेत्रक योजना परिव्यय 39329.26 करोड़ रु॰ नियत किया गया जबकि राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए 25387.54 करोड़ रु॰ के परिव्यय की परिकल्पना की गई।

3.12 आठवीं योजना के संदर्भ में निरूपित 1990-91 की वार्षिक योजना का उद्देश्य राज्य योजना पर अधिकाधिक जोर देते हुए सार्वजनिक क्षेत्रक में बढ़े हुए निवेश तथा परिव्यय के जरिए आर्थिक विकास की गति को बनाये रखना था। योजना ने ग्रामोन्मुखी कार्यक्रमों/स्कीमों पर विशेष जोर दिया।

3.13 मंत्रालयों/विभागों से उन विशेष स्कीमों/कार्यक्रमों पर जो सातवीं योजना या उससे पूर्व चल रही है, नए सिरे से जांच करने का अनुरोध किया गया। त्वरित शून्य-आधारित विश्लेषण तथा प्रभावी कार्यक्रमों को सुगठित रूप से आगे बढ़ाकर विभिन्न स्कीमों को समेकित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी प्रकार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से पारिस्थितिकी सुधार तथा रोजगार सृजन के दोहरे उद्देश्यों वाले सक्षम कार्यक्रमों में क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को समेकित/एकीकृत करने का अनुरोध किया गया।

1990-91 के लिए योजना परिव्यय के ब्यौरे अनुबंध 3.5 में दिए गए हैं।

1991-92 की वार्षिक योजना का निर्माण

3.14 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों को जून, 1990 में अपने योजना प्रस्तावों की तैयारी करते समय ध्यान में रखी जाने वाली प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को सूचित करते हुए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के साथ वार्षिक योजना 1991-92 की तैयारी की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में दिये गये ब्यौरे के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के मूल उद्देश्य, प्राथमिकताएं तथा प्रभावी क्षेत्र जिनका ब्यौरा आठवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में दिया गया है तथा जिसका राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है, वार्षिक योजना 1991-92 की तैयारी के लिए विस्तृत रुप रेखा प्रदान करने वाले थे। यह भी प्रस्ताव किया गया कि वार्षिक योजना 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में विचार-विमर्श आगे-पीछे होंगे। तदनुसार, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा साथ-साथ 1991-92 की वार्षिक योजना के लिए अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

3.15 उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दृष्टिकोण-दस्तावेज में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यथा परिकल्पित उद्देश्य तथा प्रभावी सेवा, परिमाणात्मक आकार तथा अन्तर-क्षेत्रकीय प्राथमिकताएं शामिल हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उन प्रत्येक कार्यक्रम/स्कीम का, जो सातवीं योजना में शामिल थीं, गहराई से शून्य आधारित विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता होगी ताकि यह देखा जा सके कि क्या ये दृष्टिकोण में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अन्तर्गत हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि निवेश की प्रवृत्ति को पर्याप्त उत्पादनकारी रोजगार संभावना वाले उन क्षेत्रों, क्षेत्रकों तथा उत्पादन प्रक्रियाओं के पक्ष में यथा-संभव पुनर्व्यवस्थित किया जाय।

3.16 राज्य योजना की तैयारी के लिए कार्यदलों का गठन किया गया। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ अन्तिम बैठकें आयोजित की गईं तथा वित्तीय संसाधन के बारे में कार्यदल सहित विभिन्न कार्यदलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1991-92 के लिए परिव्यय स्वीकार किया गया।

3.17 तदुपरान्त, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों/उप राज्यपालों के बीच अपने संबंधित वार्षिक योजना परिव्ययों को अन्तिम रुप देने के लिए बैठकें हुईं।

3.18 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना के संबंध में योजना आयोग के संबंधित प्रभागों ने वास्तविक

और वित्तीय कार्य निष्पादनों, विशेषतया औद्योगिक और आधार संरचनात्मक क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों के सन्दर्भ में नोडल मंत्रालयों से व्यापक विचार-विमर्श किया।

3.19 योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच निकट समन्वय के माध्यम से वर्ष 1991-92 के लिए सकल बजटीय सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के उपलब्ध रहने की संभावना के बारे में ब्यौरेवार कार्य किया गया।

3.20 संबंधित प्रभागों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ अपने विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए पृष्ठभूमि टिप्पणियां तैयार की गईं। ये टिप्पणियां तथा उपरोक्त वित्तीय संसाधनों के बारे में किए गए कार्यों के परिणाम, उन विचार-विमर्श की श्रंखलाओं का आधार बनी जो सचिव तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ किया। इन बैठकों में मंत्रालय/विभागवार परिव्ययों को अन्तिम रूप से तय किया गया। इन परिव्ययों को जिनको बाद में आयोग में अन्तिम रुप दिया गया, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सूचित करते हुए वित्त मंत्रालय को व्यय बजट (केन्द्र) 1991-92 में समाविष्ट करने के लिए सूचित किया गया।

अनुबंध 3.1

संक्षिप्त विवरण

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 वास्तविक	वार्षिक योजना 1986-87 वास्तविक	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 वास्तविक	वार्षिक योजना 1989-90 स. अ॰	जोड़ 1985-88 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	केन्द्र	95534.00	19115.47	22401.76	24584.68	27948.98	35712.93	129763.82
2.	राज्य	80698.00	13249.52	16042.98	17627.53	19356.35	20444.96	86721.34
3.	संघ राज्य क्षेत्र	3768.00	694.91	704.37	708.34	764.50	859.00	3731.12
	जोड़	180000.00	33059.90	39149.11	42920.55	48069.83	57016.89	220216.28
प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता		--	361.19	556.05	1113.55	575.00	100.00	2705.79

विकास के मुख्यशीर्षों के अनुसार परिव्यय और व्यय की प्रगतिः सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

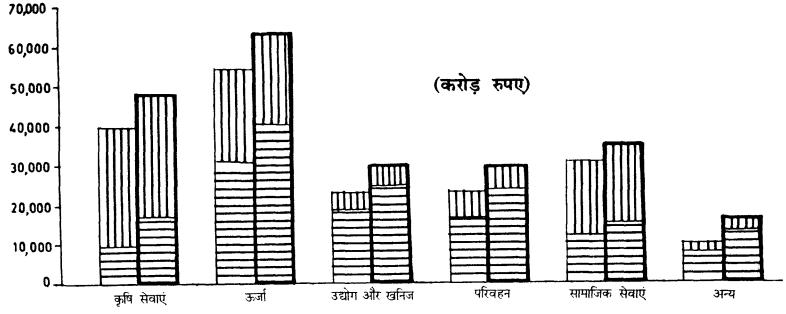

कृषि सेवाएं शामिल हैं
कृषि सम्बद्ध सेवाएं
ग्रामीण विकास
विशेषक्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई और बाढ़नियंत्रण

अन्य शामिल हैं
संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण
सामान्य आर्थिक सेवाएं और सामान्य सेवाएं

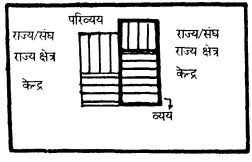

विकास के मुख्यशीर्षों के अनुसार योजना परिव्यय : वार्षिक योजना

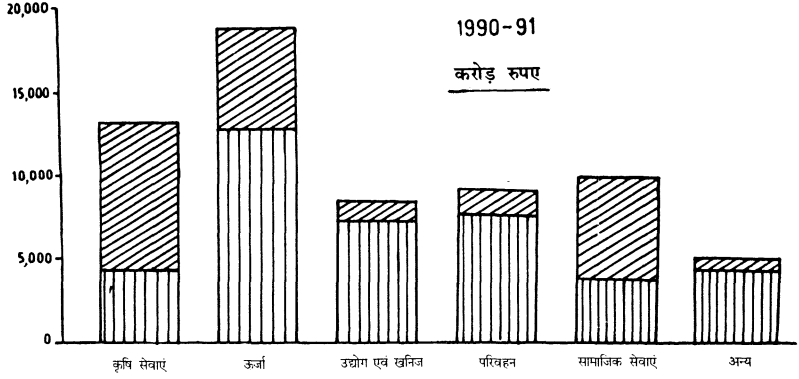

कृषि सेवाएं शामिल हैं
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं
ग्रामीण विकास
विशेषक्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई और बाढ़नियंत्रण

अन्य शामिल हैं
संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण
सामान्य आर्थिक सेवाएं और सामान्य सेवाएं

अनुबंध 3.2

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 वास्तविक	वार्षिक योजना 1986-87 वास्तविक	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 वास्तविक	वार्षिक योजना 1989-90 स अ	जोड़ 1985-88 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	10523.62	1825.92	2215.79	2742.92	2903.02	3176.42	12864.07
2.	ग्रामीण विकास	8906.08	2226.14	2667.65	3146.42	2982.34	4074.70	15097.25
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2803.59	447.33	627.60	677.00	926.51	903.18	3581.67
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	16978.65	2792.24	3221.63	3346.94	3590.92	3524.45	16476.18
5.	ऊर्जा	54821.26	9613.21	11402.78	11594.48	13226.41	16789.10	62625.98
	1. विद्युत	34273.46	5615.53	6701.45	7096.29	8243.79	10832.41	,89.47
	2. पैट्रोलियम	12627.67	2869.88	3326.41	3019.55	3108.90	3615.83	15940.57
	3. अन्य	7920.13	1127.80	1374.92	1478.64	1873.72	2340.86	8195.94

अनुबंध 3.2 (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	उद्योग एवं खनिज	22415.55@	5502.88@	5619.67@	5537.05$	5896.04$	7109.44$	29665.08
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	2752.74	524.35	615.74	616.85	686.17	820.74	3263.85
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	6420.13	1495.51	1357.54	2068.22	1856.70	2460.76	9238.73
	3. उर्वरक उद्योग	2660.75	648.68	845.97	806.84	573.87	440.74	3316.10
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	900.00	188.34	301.43	491.34	602.40	471.38	2054.89
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	1010.00	291.88	305.35	195.56	231.94	255.94	1280.67
	6. अन्य	8671.93	2354.12	2193.64	1358.24	1944.96	2659.88	10510.84
7.	परिवहन	22644.86	4072.19	5201.43	6034.61	6722.96	7552.22	29583.41
	1. रेलवे	12334.55	1941.68	2697.06	3418.87	3929.36	4450.00	16436.97
	2. अन्य	10310.31	2130.51	2504.37	2615.74	2793.60	3102.22	13146.44
8.	संचार	4474.52	942.12	1085.61	1463.95	2193.76	2920.44	8605.88
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2463.06	404.78	512.38	585.42	751.42	695.45	2949.45
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1395.60*	179.05	423.12	386.07@	494.82@	795.65@	2278.71

अनुबंध 3.2 (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	सामाजिक सेवाएं	31545.24	4858.45	5901.99	7006.40	8052.52	9016.39	34835.75
	1. शिक्षा	6382.65	876.79	1014.38	1610.84	1913.36	2283.92	7699.29
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3392.89	579.89	641.77	724.31	831.01	917.05	3694.03
	3. परिवार कल्याण	3256.26	479.81	561.11	607.39	671.84	638.01	2958.16
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6522.47	1181.08	1292.54	1469.30	1541.71	1638.13	7122.76
	5. आवास और शहरी विकास	4229.50	761.11	920.05	907.31	1069.30	1182.60	4840.37
	6. अन्य	7761.47**	979.77	1472.14	1687.25	2025.30	2356.68	8521.14
12.	सामाजिक सेवाएं	1027.97	195.59	269.46	399.24	329.11	459.45	1652.85
	जोड़ (1+2)	180000.00	33059.90	39149.11	42920.55	48069.83	57016.89	220216.28
प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता		—	361.19	556.05	1113.55	575.00	100.00	2705.79

टिप्पणियां :—

1. 1985-86 तथा 1986-87 के लिए वास्तविक योजना व्यय विगत वार्षिक योजना दस्तावेजों में प्रकाशित जैसे ही है।
2. पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पैट्रोरसायन तथा इंजीनियरी इकाईयों के लिए परिव्यय/व्यय को ऊर्जा से निकाल कर उद्योग तथा खनिज के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

• इसमें जिला आयोजना तथा राष्ट्रीय बचत स्कीमों के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

•• विशेष रोजगार स्कीम का प्रावधान भी शामिल हैं।

@ इसमें राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र शामिल नहीं है।

$ इसमें राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र शामिल हैं।

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि केन्द्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 वास्तविक	वार्षिक योजना 1986-87 वास्तविक	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 वास्तविक	वार्षिक योजना 1989-90 स अ	जोड़ 1985-88 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	4006.71	745.52	864.74	1118.18	1292.81	1371.28	5392.53
2.	ग्रामीण विकास	4901.59	1235.14	1617.75	1834.63	1625.90	2644.95	8958.37
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	---	---	---	--	--	--	--
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	834.93	122.72	171.09	186.18	237.58	192.57	910.14
5.	ऊर्जा	31492.14	6144.09	7311.76	7189.10	8292.99	11903.67	40841.61
	1. विद्युत	11051.54	2160.09	2628.43	2707.98	3333.38	5973.40	16803.28
	2. पैट्रोलियम	12627.67	2869.88	3326.41	3019.55	3108.90	3615.83	15940.57
	3. अन्य	7812.93	1114.12	1356.92	1461.57	1850.71	2314.44	8097.76
6.	उद्योग एवं खनिज	18507.69	4731.35	4693.06	4563.82	4862.73	6028.87	24879.83
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1284.84	255.03	311.44	288.03	326.17	388.40	1569.07
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	6420.13	1495.51	1357.54	1483.20	1856.70	2460.76	8653.71
	3. उर्वरक उद्योग	2660.75	648.68	845.97	806.84	573.87	440.74	3316.1
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	900.00	188.34	301.43	491.34	602.40	471.38	2054.89
	5 परमाणु ऊर्जा उद्योग	1010.00	291.88	305.35	195.56	231.94	255.94	1280.67
	6. अन्य	6231.97	1851.91	1571.33	1298.85	1271.65	2011.65	8005.39

अनुबंध 3.3 (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	परिवहन	16320.69	2963.86	3847.52	4607.67	5247.16	6139.51	22805.72
	1. रेलवे	12334.30	1941.58	2697.06	3418.87	3929.36	4450.00	16436.87
	2. अन्य	3986.39	1022.28	1150.46	1188.80	1317.80	1689.51	6368.85
8.	संचार	4465.78	942.11	1084.81	1462.45	2192.45	2918.69	8600.51
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2300.49	380.67	480.92	552.63	716.02	653.59	2783.83
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	416.62	69.85	122.01	140.85	187.54	402.50	922.75
11.	सामाजिक सेवाएं	11938.44	1731.03	2158.30	2875.86	3238.79	3404.39	13408.37
	1. शिक्षा	2388.64	283.45	288.22	746.17	825.53	783.73	2927.10
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	897.34	181.58	172.82	183.73	207.52	234.90	980.55
	3. परिवार कल्याण	3256.26	479.81	561.11	607.39	671.84	638.01	2958.16
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1236.83	298.44	330.23	391.10	434.95	435.32	1890.04
	5. आवास और शहरी विकास	427.88	51.93	52.22	51.60	72.98	76.71	305.44
	6. अन्य	3731.49	435.82	753.70	895.87	1025.97	1235.72	4347.08
12.	सामाजिक सेवाएं	348.92	49.13	49.80	53.31	55.01	52.91	260.16
	जोड़ (1+12)	95534.00	19115.47	22401.76	24584.68	27948.98	35712.93	129763.82

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 वास्तविक	वार्षिक योजना 1986-87 वास्तविक	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 वास्तविक	वार्षिक योजना 1989-90 स अ	जोड़ 1985-88 (कालम 4+5+6+7+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	6248.40	1040.93	1329.88	1604.09	1586.09	1777.87	7338.86
2.	ग्रामीण विकास	3974.70	986.32	1046.99	1308.87	1352.35	1425.66	6120.19
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2803.59	446.29	627.60	677.05	926.51	903.18	3580.63
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	15949.77	2636.53	3023.23	3146.26	3336.81	3311.12	15453.95
5.	ऊर्जा	22786.15	3294.18	3888.62	4212.17	4733.05	4688.47	20816.49
	1. विद्युत	22686.76	3282.98	3872.91	4196.26	4711.95	4665.98	20730.08
	2. पैट्रोलियम	--	--	--	--	--	--	--
	3. अन्य	99.39	11.20	15.71	15.91	21.10	22.49	86.41
6.	उद्योग एवं खनिज	3785.88	750.05	907.65	951.45	1016.60	1062.20	4687.95
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1378.52	253.63	290.20	311.74	349.75	419.88	1625.2
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	--	--	--	580.62	611.47	581.68	1773.77
	3. उर्वरक उद्योग	--	--	--	--	--	--	--
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	--	--	--	--	--	--	--
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	--	--	--	--	--	--	--
	6. अन्य	2407.36	496.42	617.45	59.09	55.38	60.64	1288.98

अनुबंध 3.4 जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	परिवहन	5608.19	994.70	1243.55	1303.48	1348.47	1277.14	6167.34
	1. रेलवे	0.25	0.10	--	--	--	--	0.10
	2. अन्य	5607.94	994.60	1243.55	1303.48	1348.47	1277.14	6167.24
8.	संचार	8.49	0.01	0.80	1.50	1.24	1.75	5.30
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	157.28	23.49	30.62	32.09	34.94	40.92	162.06
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	941.41	102.86	296.28	240.20	302.04	387.91	1329.29
11.	सामाजिक सेवाएं	17782.96	2834.93	3437.76	3810.96	4452.77	5173.79	19710.21
	1. शिक्षा	3488.71	528.80	727.04	801.80	1007.32	1406.29	4471.25
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2240.33	362.82	419.31	494.93	572.76	614.14	2463.96
	3. परिवार कल्याण	--	--	--	--	--	--	--
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4848.06	805.67	890.48	1004.59	1022.96	1099.87	4823.57
	5. आवास और शहरी विकास	3281.09	608.88	765.30	740.62	877.10	966.71	3958.61
	6. अन्य	3924.77	528.76	635.63	769.02	972.63	1086.78	3992.82
12.	सामाजिक सेवाएं	651.18	139.23	210.00	339.41	265.48	394.95	1349.07
	जोड़ (1+12)	80698.00	13249.52	16042.98	17627.53	19356.35	20444.96	86721.34
प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता		---	361.19	556.05	1113.55	575.00	100.00	2705.79

अनुबंध 3.4 (क)

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 वास्तविक	वार्षिक योजना 1986-87 वास्तविक	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 वास्तविक	वार्षिक योजना 1989-90 स अ	जोड़ 1985-88 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	268.51	39.47	21.17	20.65	24.12	27.27	132.68
2.	ग्रामीण विकास	29.79	4.68	2.91	2.92	4.09	4.09	18.69
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	1.04	---	--	--	--	1.04
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	193.95	32.99	27.31	14.50	16.53	20.76	112.09
5.	ऊर्जा	542.97	174.94	202.40	193.21	200.37	196.96	967.88
	1. विद्युत	535.16	172.46	200.11	192.05	198.46	193.03	956.11
	2. पैट्रोलियम	--	--	--	--	--	--	--
	3. अन्य	7.81	2.48	2.29	1.16	1.91	3.93	11.77
6.	उद्योग एवं खनिज	121.98	21.48	18.96	21.78	16.71	18.37	97.30
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	89.38	15.69	14.10	17.08	10.25	12.46	69.58
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	--	--	--	4.40	6.46	5.91	16.77
	3. उर्वरक उद्योग	--	--	--	--	--	--	--
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	--	--	--	--	--	--	--
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	--	--	--	--	--	--	--
	6. अन्य	32.6	5.79	4.86	0.3	--	--	10.95

अनुबंध 3.4 (क) जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	परिवहन	715.98	113.63	110.36	123.46	127.33	135.57	610.35
	1. रेलवे	--	--	--	--	--	--	--
	2. अन्य	715.98	113.63	110.36	123.46	127.33	135.57	610.35
8.	संचार	0.25	--	--	--	0.07	--	0.07
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.29	0.62	0.84	0.70	0.46	0.94	3.56
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	37.57	6.34	4.83	5.02	5.24	5.24	26.67
11.	सामाजिक सेवाएं	1823.84	292.49	305.93	319.58	360.96	438.21	1717.17
	1. शिक्षा	505.30	64.54	58.42	62.87	80.51	93.90	360.24
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	255.22	35.49	49.64	45.65	50.73	68.01	249.52
	3. परिवार कल्याण	--	--	--	--	--	--	--
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	437.58	76.97	71.83	73.61	83.80	102.94	409.15
	5. आवास और शहरी विकास	520.53	100.30	102.53	115.09	119.22	139.18	576.32
	6. अन्य	105.21	15.19	23.51	22.36	26.70	34.18	121.94
12.	सामाजिक सेवाएं	27.87	7.23	9.66	6.52	8.62	11.59	43.62
	जोड़ (1+12)	3768.00	694.91	704.37	708.34	764.50	859.00	3731.12

** इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा दमन और दीव शामिल हैं।

वार्षिक योजना – 1990-91 – केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्रम सं	विकास के शीर्ष	वार्षिक योजना-1990-91 (परिव्यय)			
		केन्द्र	राज्य	सं रा क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1584.10	2182.57	35.85	3802.52
2.	ग्रामीण विकास	2663.68	1633.33	5.19	4302.20
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	1037.26	---	1037.26
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	223.32	3861.10	25.19	4109.61
5.	ऊर्जा	12280.17	6353.13	237.56	18870.86
	1. विद्युत	5916.88	6329.73	232.68	12479.29
	2. पैट्रोलियम	3791.36	--	--	3791.36
	3. अन्य	2571.93	23.40	4.88	2600.21
6.	उद्योग एवं खनिज	7115.98	1312.34	21.44	8449.76
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	467.14	501.74	15.04	983.92
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	2734.71	734.63	--	3469.34
	3. उर्वरक उद्योग	660.73	--	--	660.73
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	580.77	--	--	580.77
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	271.83	--	--	271.83
	6. अन्य	2400.80	75.97	6.40	2483.17

अनुबंध 3.5 जारी

1	2	3	4	5	6
7.	परिवहन	7415.35	1682.98	205.15	9303.48
	1. रेलवे	5000.00	--	--	5000.00
	2. अन्य	2415.35	1682.98	205.15	4303.48
8.	संचार	3047.87	1.75	0.00	3049.62
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	845.37	44.97	2.53	892.87
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	377.48	520.36	6.73	904.57
11.	सामाजिक सेवाएं	3757.81	5475.46	514.95	9748.22
	1. शिक्षा	864.10	1286.83	99.87	2250.80
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	275.00	718.05	75.31	1068.36
	3. परिवार कल्याण	675.00	--	--	675.00
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	470.33	1310.42	131.88	1912.63
	5. आवास और शहरी विकास	120.67	1014.03	176.24	1310.94
	6. अन्य	1352.71	1146.13	31.65	2530.49
12.	सामाजिक सेवाएं	18.13	211.75	15.95	245.83
	जोड़ (1+12)	39329.26	24317.00	1070.54	64716.80

सातवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम संघटक का नाम	7वीं योजना 1985-90	1985-86			1986-87			1987-88		
			परिव्यय	वास्तविक व्यय	कालम 5/4 की प्रतिशतता	परिव्यय	वास्तविक व्यय	कालम 8/7 की प्रतिशतता	परिव्यय	वास्तविक व्यय	कालम 11/10 की प्रतिशतता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	प्राथमिक शिक्षा	1830.45	280.19	268.57	95.85	379.08	377.66	99.63	626.33	626.95	100.10
2.	प्रौढ़ शिक्षा	360.00	65.54	62.15	94.83	96.86	70.94	73.24	113.66	84.41	74.27
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	1093.35	181.59	129.06	71.07	182.10	147.16	80.81	208.84	194.98	93.36
4.	ग्रामीण जल पूर्ति	3454.47	655.59	700.93	106.92	734.13	801.81	109.22	863.35	956.75	110.82
5.	ग्रामीण सड़कें	1729.40	293.27	252.79	86.20	241.89	310.58	128.40	299.92	318.03	106.04
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण	497.08	77.24	58.42	75.63	95.92	131.27	136.85	107.81	131.27	121.76
7.	ग्रामीण आवास	576.90	99.95	102.85	102.90	105.18	140.62	133.69	113.24	99.65	88.00
8.	शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	269.55	37.83	44.87	118.61	47.27	45.02	95.24	46.35	43.53	93.92
9.	पोषाहार	1732.86	312.59	175.28	56.07	310.78	220.41	70.92	322.02	174.01	54.04
10.	ग्रामीण ऊर्जा										
	1. उन्नत चूल्हें	40.00	10.00	9.85	98.50	6.00	4.68	78.00	9.02	8.86	98.23
	2. ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण स्कीम	215.00	50.43	36.65	72.67	42.12	35.68	84.71	46.07	39.42	85.57
11.	ग्रामीण स्वच्छता	--	--	--	--	--	--	--	30.16	16.29	54.01
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	--	--	--	--	--	--	--	55.79	45.78	82.06
	जोड़	11799.06	2064.22	1841.42	89.21	2241.33	2285.83	101.99	2842.56	2739.93	96.39

अनुबंध 3.6 जारी

क्रम सं.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम संघटक का नाम	1988-89 परिव्यय	1988-89 प्रत्याशित व्यय	1988-89 कालम 13/14 की प्रतिशतता	1989-90 परिव्यय	1989-90 प्रत्याशित व्यय	1989-90 कालम 17-16 की प्रतिशतता	जोड़ 1985-90 कालम 4 + 7 + 10 + 13 + 16	सातवीं योजना आबंटन की प्रतिशतता के रूप में कुल वार्षिक योजना परिव्यय (कालम 19/ कालम 3)
1	*2*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	प्रारंभिक शिक्षा	753.36	712.62	94.59	981.73	1016.32	103.52	3020.69	165.02
2.	प्रौढ़ शिक्षा	117.13	116.23	99.23	132.09	128.72	97.45	525.28	145.91
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	231.47	217.97	94.17	268.13	285.23	106.38	1072.13	98.06
4.	ग्रामीण जल पूर्ति	973.56	970.29	99.66	1008.60	972.88	96.46	4235.23	122.60
5.	ग्रामीण सड़कें	317.66	335.67	105.67	308.83	347.97	112.67	1461.57	84.51
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण	124.27	139.75	112.46	105.00	105.00	100.00	510.24	102.65
7.	ग्रामीण आवास	131.20	124.27	94.72	156.13	144.34	92.45	605.70	104.99
8.	शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	51.08	46.32	90.68	53.97	62.28	115.40	236.50	87.74
9.	पोषाहार	296.57	264.03	89.03	279.46	250.90	89.78	1521.42	87.80
10.	ग्रामीण ऊर्जा								
	1. उन्नत चूल्हे	10.00	10.00	100.00	12.00	12.00	100.00	47.02	117.55
	2. ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण स्कीम	33.90	17.97	53.01	39.90	16.73	41.93	212.42	98.80
11.	ग्रामीण स्वच्छता	29.70	14.56	49.02	33.16	32.06	96.68	93.02	
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	50.62	46.58	92.02	38.79	37.78	97.40	145.20	
	जोड़ :	3120.52	3016.26	96.66	3417.79	3412.21	99.84	13686.42	116.00

अध्याय–4

मुख्य कार्यकलाप-एक परिप्रेक्ष्य

योजना आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् (रा वि प) की बैठकें

4.2 राष्ट्रीय विकास परिषद् जो कि योजना और विकास के संबंध में सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच है, की दो बैठकें आयोजित की गईं।

4.3 राष्ट्रीय विकास परिषद् की इकतालीसवीं बैठक 18-19 जून, 1990 को आयोजित की गई जिसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पर विचार किया गया। इस बैठक में "सामाजिक परिवर्तन की ओर" नाम से आयोग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज का मसौदा अनुमोदित किया गया। आठवीं योजना तैयार करते समय अपनाए जाने वाले मुख्य दृष्टिकोण पर विचार करने के अतिरिक्त इस बैठक में प्रस्तावित योजना के पांच विशेष पहलुओं अर्थात् विकेन्द्रीकरण, रोजगार वित्तीय प्रबंध, आबादी, मानव संसाधन विकास और दक्षता का संरक्षण के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

4.4 राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी बयालीसवीं बैठक संसद सौध, नई दिल्ली में दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 को आयोजित की जिसमें कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार किया गया :-

(क) राज्यों के योजनागत व्यय के लिए केन्द्रीय बजट सहायता का वितरण, और

(ख) काम के अधिकार के संबंध में मुद्दे।

इनके अतिरिक्त, "खाड़ी संकट का भारत के भुगतान संतुलन पर प्रभाव" नाम से एक दस्तावेज पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठकों में राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता के वितरण के संबंध में "सर्वसम्मति" सूत्र के रूप में संशोधित गाड़गिल सूत्र का संशोधित पाठ तैयार किया गया।

पूर्ण योजना आयोग की बैठकें

4.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान पूर्ण योजना आयोग की चार बार बैठकें हुईं।

4.6 राज्यों के योजनागत व्यय के लिए केन्द्रीय बजट सहायता के वितरण के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोग की बैठक दिनांक 19 जुलाई 1990 को आयोजित की गई। इस बैठक में वर्तमान संशोधित गाड़गिल सूत्र को संशोधित करने के लिए सुझाए गए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया।

इस बैठक में विभिन्न विचाराधीन मुद्दों पर भी विचार किया गया जिनके संबंध में विचार करने की जरूरत थी

जैसे भाड़ा समकरण, शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति की समीक्षा, नए पर्वतीय क्षेत्रों का वर्णन, केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों को जारी रखना और शहरी भूमि और सम्पत्ति कानूनों में सुधार।

4.7 पूर्ण योजना आयोग ने दिनांक 18.9.1990 को आयोजित बैठक में व्यय को नियंत्रित करने और अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए अपेक्षित उपायों के साथ-साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित वित्तीय आयामों और क्षेत्रीय आबंटनों पर विचार किया। इस बैठक में योजना अनुमानों पर खाड़ी संकट के सम्भावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया।

4.8 पूर्ण योजना आयोग ने दिनांक 24.12.1990 को आयोजित अपनी बैठक में आठवीं पंचवर्षीय योजना को शीघ्रता से तैयार करने के लिए अपेक्षित और उपायों पर विचार किया। इस बैठक में जोर डालने योग्य क्षेत्रों के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किये गए जिनके संबंध में मुख्य मंत्रियों, राज्यपालो या उप राज्यपालों के साथ राज्यीय योजना के विचार-विमर्श के दौरान जोर दिया जाना है। आठवीं योजना से सम्बद्ध कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनागत धन अलग रखने और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को यथासम्भव सीमा तक जारी रखने या अन्तरित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

4.9 पूर्ण योजना आयोग की 26 फरवरी, 1991 को आयोजित बैठक में आठवीं योजना के दौरान राज्यों में केन्द्रीय सहायता के वितरण के प्रश्न तथा योजना के आकार तथा परिकल्पित वृद्धि दर से संबंधित पहलुओं की भी समीक्षा की गई।

संसदीय समिति की बैठकें

4.10 योजना आयोग, योजना मंत्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति के मंच के माध्यम से संसद के साथ सक्रिय सम्बन्ध रखता है। पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाए तैयार करते समय और अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते समय, योजना आयोग समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में दिए गए मूल्यवान सुझावो को पूरे तौर पर ध्यान में रखता है।

4.11 आम चुनाव 1989 के बाद, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के लिए दिनांक 6.1.1990 को संसद सदस्यों की एक नई परामर्शदात्री समिति गठित की गई। समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:—

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
प्रधानमंत्री तथा मंत्री योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन — अध्यक्ष

श्री भाग्येगोवर्धन,
राज्य मंत्री,
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा के सदस्य

1. श्री नकुल नायक
2. श्री मानधाता सिंह
3. श्री नरसिंह राव दीक्षित

4. डा लक्ष्मी नारायण पांडे
5. श्री लोकेन्द्र सिंह
6. डा विप्लव दास गुप्ता
7. श्री वसन्त साठे
8. श्री ब्रहम दत्त
9. श्री एडुआर्डो फलेरियो
10. श्री बी शंकरानन्द
11. श्री प्रकाश वी पाटिल

राज्य सभा के सदस्य

1. श्री पी के कुंजाचेन
2. श्री गुलाम रसूल मट्टू
3. श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
4. श्री ए के अन्टनी

4.12 नवम्बर, 1990 में केन्द्र में सरकार में आए परिवर्तन के समय, यह समिति योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के लिए पुनर्गठित की गई थी। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

श्री चन्द्र शेखर
प्रधानमंत्री तथा मंत्री,
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन — अध्यक्ष

लोक सभा के सदस्य

1. श्री मानधाता सिंह
2. श्री नरसिंह राय दीक्षित
3. श्री लोकेन्द्र सिंह
4. डा लक्ष्मी नारायण पांडे
5. श्री प्रकाश वी पाटिल
6. डा विप्लव दास गुप्ता
7. श्री बसन्त साठे
8. श्री ब्रहम दत्त
9. श्री एडुआर्डो फलेरियो

10. श्री बी शंकरानन्द

11. श्री मुरली देवड़ा

राज्य सभा के सदस्य

1. श्री पी के कुंजाचेन

2. श्री गुलाम रसूल मट्टू

3. श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर

4. श्री ए के अन्टनी

5. श्री के एल शर्मा

4.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की तीन बार बैठकें हुईं और निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :—

क्रमांक	बैठक की तारीख	विषय
1.	24.5.1990	आठवीं पंचवर्षीय योजना— 1990-95 के दृष्टिकोण का मसौदा
2.	30.7.1990	आठवीं पंचवर्षीय योजना — 1990-95 के दृष्टिकोण का मसौदा
3.	11.1.1991	रोजगार-विगत रुख और 1990 के दशक के लिए संभावनाएं

सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक ग्रुपों की बैठकें

4.14 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित कार्यों के भाग के रूप में योजना आयोग ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक ग्रुपों के साथ अनेक बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध गैर-सरकारी विशेषज्ञों के सुविचारित विचारों का लाभ उठाना था ताकि ये विचार आठवीं योजना को तैयार करने में अर्थ पूर्ण सामग्री बन सकें। जून-जुलाई, 1990 के दौरान ऐसी 18 बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक बैठक में दिलचस्पी के विशिष्ट क्षेत्र पर विचार-विमर्श हुआ, यथा :-

1. स्वैच्छिक संगठन
2. कृषि
3. उद्योग और व्यापार
4. अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक
5. ग्राम तथा लघु उद्योग
6. हथकरघा और हस्तशिल्प
7. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां
8. पर्यावरण
9. दूर संचार

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
11. स्वास्थ्य
12. परिवार कल्याण
13. संस्कृति
14. शिक्षा
15. श्रम
16. जल संसाधन
17. महिला विकास और
18. आवासन/शहरीकरण

4.15 इन बैठकों ने योजना आयोग और प्रसिद्ध सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श के लिए शानदार मंच मुहैया कराया।

4.16 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के कार्यकलापों का संक्षेप में ब्यौरा निम्नलिखित उप खण्डों में दिया गया है :

1. कृषि प्रभाग

4.17 वार्षिक योजना दस्तावेज, 1990-91 के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों पर संगत सामग्री तैयार करना, वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्र और राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देना और आठवीं पंजवर्षीय योजना के तैयार करने से संबंधित कार्य ऐसे मुख्य कार्यकलाप थे जो प्रभाग द्वारा किए गए।

4.18 फसल उत्पादन और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में चुनिंदा विकास कार्यक्रमों के सम्बनध में वर्ष 1990-91 के लिए लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने के लिए सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालय बैठक आयोजित की गई।

4.19 आठवीं योजना में कृषि पर विचार-विमर्श करने के लिए, दिनांक 14 जून, 1990 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सामाजिक-आर्थिक ग्रुप की बैठक आयोजित की गई।

कृषि-जलवायु विषयक क्षेत्रों पर आधारित कृषि योजना

4.20 कृषि-जलवायु विषयक क्षेत्रों पर आधारित कृषि योजना सुव्यवस्थित करने के लिए परियोजना जो योजना आयोग द्वारा शुरू की गई थी, जारी रखी गई। 15 क्षेत्रीय योजना दलों ने उनके संसाधन संबंधी स्थायी निधियों का इष्टतम विकास करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय स्तरों पर उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों की सिफारिश की है।

4.21 आठवीं योजना में कृषि के विकास के लिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय योजनाओं का परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण पूरा करने के बाद, योजना दलों ने लगभग प्रायोगिक आधार पर, जिला स्तर पर समग्र योजना-निर्णयों के लिए तकनीकी निवेश के जरिए विकास नीतियां तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

4.22 योजना आयोग ने कृषि और सहकारिता के पूर्व केन्द्रीय मंत्री, चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में राज्य सहकारी सोसायटी विधेयक के नमूने को अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति के सदस्यों में सहकारिता के क्षेत्र में प्रशासक और विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। सहकारिता की वर्तमान स्थिति और वर्तमान सहकारिता कानूनों की समीक्षा करने के लिए, इस समिति ने तीन बैठकें आयोजित की हैं। बैठकों में हुए विचार-विमर्श और लिखित टिप्पणियों के आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

II. पिछड़ा वर्ग प्रभाग

4.23 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित नीतियों और कार्यक्रमों में उपयुक्त समायोजन करने के संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1991-92 के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातीय उप योजना के लिए विशेष घटक योजना को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

4.24 झाड़ू से सफाई का उन्मूलन करने और सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए गठित कृतिक बल की रिपोर्ट अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कल्याण मंत्रालय को भेज दी गई है।

4.25 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के भाग के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए गठित सामाजिक-आर्थिक दल की बैठक आयोजित की गई।

4.26 राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, (एन सी ए ई आर) नई दिल्ली के माध्यम से प्रभाग द्वारा प्रायोजित अन्तरिम रिपोर्टों की एक "जुताई बदलनाः बस्तर जिला, मध्य प्रदेश के अभुजमढ़ में मामले का अध्ययन" पर और दूसरी "मध्य प्रदेश में वन-ग्रामों की सामाजिक-आर्थिक दशा" पर जांच की गई और टिप्पणियां एन सी ए ई आर को उपलब्ध कराई गईं। इन रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

4.27 यह प्रभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बनी स्कीमों से संबंधित अनेक कार्यों में कल्याण मंत्रालय के साथ घनिष्ठता से सम्बद्ध था। निम्नलिखित स्कीमों का विशेष जिक्र किया जा सकता है:- (क) जनजातीय उप योजना क्षेत्रों का युक्तियुक्तकरण (ख) वर्ष 1990-91 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य योजना, (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों की जांच, (घ) अल्पसंख्यकों का उच्चाधिकार प्राप्त पैनल, (ड) विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति, (च) अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम, (छ) भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), (ज) वन भूमियों की तुलना में जनजातीय हित की रक्षा, (झ) अनुसूचित जाति विकास निगमों के संबंध में समीक्षा समितियां और (ञ) डा बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर शताब्दी मनाना।

4.28 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यन्वयन का अध्ययन करने के लिए उड़ीसा और हरियाणा राज्यों के चुनिंदा क्षेत्रों की यात्राएं की गईं।

III. दूर संचार और सूचना प्रभाग

दूर संचार और प्रसारण

4.29 इस प्रभाग ने वार्षिक योजना 1990-91 के दस्तावेज के लिए इस क्षेत्र पर संगत सामग्री तैयार की।

4.30 सुचना और प्रसारण क्षेत्र पर आठवीं पांच वर्षीय योजना को तैयार करने के लिए गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4. 31 डाक विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आठवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1991-92 के लिए प्रस्तावों की जांच की गई थी और पृष्ठभूमि संबंधी संगत टिप्पणियां भावी कार्रवाई के लिए तैयार की गई थीं।

4.32 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के लिए डाक और प्रसारण क्षेत्रों के अध्यायों का मसौदा तैयार किया गया था।

सूचना और प्रचार

4.33 संदर्भ वार्षिक "भारत 1989" के लिए योजना से संबंधित अध्याय को अद्यतन बनाया गया।

4.34 इस प्रभाग ने विभिन्न दैनिक (स्थानीय और अन्य शहरों के) समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से योजना तथा विकास पर छपे चुनिंदा ऐसे समाचार/लेख जो योजना आयोग के विशेष हित में होते हैं, का एक डेली डाईजेस्ट निकाल कर "आन्तरिक सूचना सेवा" मुहैया करनी जारी रखी। हिन्दी में सीमित कतरन सेवा भी जारी रखी गई। योजना भवन में लगे टेलीप्रिंटर पर प्राप्त महत्वपूर्ण समाचारों की छानबीन और आपूर्ति भी जारी रखी गई।

4.35 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन छपे गए :

1. "मटर तालुका" (खेड़ा जिला) का आर्थिक सर्वेक्षण-रिपोर्ट (अंग्रेजी) (पुनः मुद्रण)
2. -वही- हिन्दी (पुनः मुद्रण)
3. वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 (अंग्रेजी)
4. वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 (हिन्दी)
5. रोजगार—विगत रूख और 1990 के दशक का विवरण-पत्र अंग्रेजी
6. -वही- (हिन्दी)
7. आठवी पंचवर्षीय योजना 1990-95 का दृष्टिकोण (अंग्रेजी)
8. -वही- (हिन्दी)
9. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) – राज्यों के योजनागत व्यय के लिए केन्द्रीय बजट सहायता का वितरण
10. राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 18-19 जून, 1990 को आयोजित 41वीं बैठक का सार रिकार्ड (अंग्रेजी)
11. -वही- (हिन्दी)
12. राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 11 अक्तूबर 1990 को आयोजित 42वीं बैठक का सार रिकार्ड (अंग्रेजी)
13. -वही- (हिन्दी)

14. वार्षिक योजना 1990-91 (अंग्रेजी)

15. वार्षिक योजना 1990-91 (हिन्दी)

IV. शिक्षा प्रभाग

4.36 इस प्रभाग द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

वार्षिक योजना दस्तावेज, 1990-91 के लिए सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा मामले, कला और संस्कृति के संबंध में संगत सामग्री तैयार करना, वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्र और राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देना और आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित काम।

4.37 आठवीं योजना तैयार करने के संबंध में पहले किए गए कार्य और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित और योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिए गए दृष्टिकोण पत्र में निहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आठवीं योजना के लिए शिक्षा के अध्याय का मसौदा तैयार किया गया।

4.38 दो "मुद्दे" पत्र तैयार किए गए जिन पर दो सामाजिक-आर्थिक ग्रुपों की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। इन ग्रुपों में क्रमशः शिक्षा और संस्कृति/युवा नीति से संबंधित विशेषज्ञ सम्मिलित थे।

V. पर्यावरण और वन एकक

4.39 पर्यावरण और वन एकक मई 1990 में स्थापित किया गया था। यह एकक पर्यावरण, परिस्थितिकी, वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र में अल्पावधि और दीर्घावधि योजनाओं और नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, यह एकक द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण और द्वीप समूह विकास प्राधिकरण की स्थायी समिति के सचिवालय के रूप में काम करता है। यह एकक गंगा कार्य योजना की प्रबोधन समिति और संचालन समिति में प्रतिनिधित्व भी करता है।

4.40 वर्ष 1990-91 के दौरान, इस एकक में निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

(क) पर्यावरण और वन

1. आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के लिए पर्यावरण और वानिकी क्षेत्र के संबंध में अध्याय का मसौदा तैयार किया गया।
2. आठवीं योजना और वार्षिक योजना 1991-92 के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किए गए।
3. आठवीं योजना और वार्षिक योजना 1991-92 के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालय पर्यावरण, वन और वन्य जीव के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और अन्तिम सिफारिशें की गईं।
4. इस एकक ने व्यय वित्त आयोग, लोक निवेश बोर्ड और सचिवों की समिति के लिए प्राप्त विभिन्न टिप्पणियों पर अपना मत प्रकट किया।
5. बाह्य सहायता के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रस्तावों पर अभिमत प्रकट किए गए और यथावश्यक इन प्रस्तावों को बाह्य अभिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

(ख) द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण

4.41 वर्ष के दौरान, द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की संचालन समिति के स्थान पर स्थायी समिति रखी गई। स्थायी समिति के गठन और निर्देश पदों के संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी की गई।

(ग) गंगा कार्य योजना

4.42 इस एकक ने प्रबोधन समिति और संचालन समिति की बैठक में भाग लिया।

VI. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभाग

4.43 इस प्रभाग द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप किए गए :

1. इस प्रभाग ने भारतीय अर्थ व्यवस्था पर आबादी की वृद्धि के प्रभाव के संबंध में नीति अनुसंधान हेतु केन्द्र की रिपोर्ट की जांच की।
2. ग्रामीण महिला श्रमिकों पर "प्रसूति लाभ स्कीमों की एजेंसी" कार्यान्वित करने के गुजरात राज्य के निर्णय की पूरे तौर पर जांच की गई और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अभिमत उपलब्ध कराए गए।
3. वार्षिक योजना 1990-91 के दस्तावेज के लिए "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम" के संबंध में अध्याय तैयार किया गया।
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सामाजिक-आर्थिक ग्रुप की एक बैठक 29-30 जून, 1990 को आयोजित की गई।

VII. भारत-जापान अध्ययन समिति

4.44 भारत-जापान अध्ययन समिति चुनिंदा विषयों पर अध्ययन करती है ताकि भारत और जापान के बीच अपेक्षाकृत अधिक मेल-मिलाप बढ़ाया जा सके। भारत समिति और इसकी प्रतिपक्ष जापान समिति ने वर्ष में एक बार बारी-बारी से भारत और जापान में संयुक्त बैठकें कीं।

4.45 19वीं संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में 27 और 28 नवम्बर, 1990 को आयोजित की गई। जापानी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत में औद्योगिक आदर्श नगर स्थापित करने के संबंध में जापान के प्रस्ताव पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय और जापानी प्रतिनिधियों से समिति गठित की जाए जो इस संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करे। इस संयुक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषतया वैज्ञानिकों और शिल्प वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाए।

VIII. विकास नीति प्रभाग

4.46 विकास नीति प्रभाग द्वारा निम्नलिखित पत्र तैयार किए गए :

1. सातवीं योजना के दौरान, पूंजी निवेश, बचत और चालू खाता घाटा
2. अस्सी के दशक में सरकारी इमदाद में रूख

3. गैर पैट्रोलियम क्षेत्र में केन्द्रीय लोक उद्यम की अतिरिक्त संसाधन सम्भावना

4. आठवीं योजनावधि के दौरान घरेलू बचतों का अनुमान और घरेलू बचत के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र का मसौदा

5. वित्तीय परिसम्पत्तियों में घरेलू बचत: आठवीं योजना के लिए एक नमूना और अनुमान

6. भुगतान संतुलन और कीमतों पर खाड़ी संकट का प्रभाव। (परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के साथ मिल कर तैयार किया गया)

7. आठवीं पंच वर्षीय योजना में वित्तीय आयाम और क्षेत्रीय आबंटन (परिप्रेक्ष्य योजना और वित्तीय संसाधन प्रभाग के साथ मिल कर तैयार किया गया)

8. विदेश से शुद्ध पूंजी के आयाम का अनुमान और सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच बंटवारे के संबंध में एक टिप्पणी

9. वार्षिक योजना दस्तावेज 1990-91 के अध्याय 1 के लिए संगत सामग्री तैयार करना

10. आठवीं योजना के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अध्याय का मसौदा

सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान एकक

4.47 सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान एकक अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के मार्गदर्शन के अन्तर्गत योजना आयोग के अनुसंधान संवर्धन कार्यकलाप करती है।

4.48 योजना आयोग के पुनर्गठन के बाद, अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के गठन में परिवर्तन किया गया। प्रो॰ एस॰ के॰ गोयल दिनांक 17.1.1991 से इस समिति के अध्यक्ष बने तथा इसके सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री/समाज वैज्ञानिक थे। इससे पहले अप्रैल 1990 से प्रो॰ रजनी कोठारी समिति के अध्यक्ष थे।

4.49 समिति ने अनुसंधान के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का निर्धारण किया। गरीबी उन्मूलन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, सभी के लिए रोजगार, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, प्रादेशिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने संबंधी मामलों को अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी गई।

4.50 चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1990 तक, चल रहे अध्ययनों की सहायता के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को अनुदान अवमुक्त किए गए (अनुबंध 1) समिति द्वारा दो नए अनुसंधान अध्ययन और पांच सेमिनार/सम्मेलन प्रायोजित किए गए।

4.51 वर्ष के दौरान, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुबंध 2 में वर्णित सात अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए। विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए समिति द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सेमिनार/सम्मेलन भी प्रायोजित किए गए।

4.52 योजना आयोग अभिनिर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक अध्ययन करने के लिए चार अनुसंधान संस्थानों को यथा (1) आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली, (2) आर्थिक विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, (3) गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ इकनामिक्स एंड पालिटिक्स, पुणे और (4) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को ब्लाक अनुदान भी देता है। इन संस्थानों के कार्यक्रम की अनुसंधान

परामर्शदात्री समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य के संबंध में आवश्यक निदेश दिया जाता है।

4.53 एस एम जोशी सोशलिस्ट फांउडेशन-पूणे को सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान के लिए संस्थागत विकास को सहायता देने के योजना आयोग के कार्यकलाप के भाग के रूप में 25 लाख रूपये की एक बारगी तदर्थ अनुदान भी दिया गया।

IX. श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

4.54 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आकस्मिक कार्य के भाग के रूप में, रोजगार और बेरोजगारी के रुख और ढांचे के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण किया गया। निम्नलिखित कागजात तैयार किए गए:-

(1) "रोजगार-विगत रुख और 1990 के दशक के लिए संभावनाएं" इसे जून, 1990 में समाज वैज्ञानिकों और श्रम प्रतिनिधियों की बैठक में तथा जनवरी, 1991 में योजना मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी परिचालित किया गया था। इसे केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि में व्यापक परिचालन के लिए प्रकाशित कराया गया।

(2) "क्षेत्रीय योजनाओं और राज्यीय योजनाओं में रोजगार लक्ष्य का विचार"

(3) "काम के अधिकार" पर एक दस्तावेज जिसमें "काम के अधिकार" से संबंधित मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट और योजना आयोग के भी सुझाव सम्मिलित हैं, तैयार किया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद् को दिनांक 11 अक्तूबर 1990 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया।

(4) वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति पर एक टिप्पणी जिसमें शिक्षित बेरोजगारों की समस्या अल्पावधि में हल करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर बल दिया गया है।

(5) आयोग में आन्तरिक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए "बेरोजगारीविहीन जिलों" पर टिप्पणी भी तैयार की गई।

4.55 आठवीं पंचवर्षीय योजना और राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों की वार्षिक योजना 1991-92 में श्रम तथा श्रमिक कल्याण क्षेत्र तथा विशेष रोजगार कार्यक्रम (इसमें महाराष्ट्र रोजगार गारंटी स्कीम भी सम्मिलित है) से संबंधित प्रस्तावों तथा श्रम मंत्रालय तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष रोजगार स्कीमों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और सिफारिशें उपलब्ध कराई गईं।

4.56 इस प्रभाग ने निम्नलिखित मामलों की भी जांच की :-

(1) पिछड़ेपन के विभिन्न जिला-स्तर के प्रांचलों तथा सूचकों की दक्षता तथा संसाधनों के आवंटन में उनकी उपयोगिता।

(2) राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों और संगठनों यथा आई ए एम आर और फिक्की से प्राप्त या उनके द्वारा रोजगार/बेरोजगारी/जनशक्ति से संबंधित अध्ययन।

4.57 इस प्रभाग ने निम्नलिखित समितियों/ग्रुपों में प्रतिनिधित्व कियाः

(1) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्

(2) केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद्

(3) श्रम मंत्रालय के रोजगार सर्वेक्षणों में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान के सर्वेक्षणों तथा अनुसंधान अध्ययन के संबंध में तकनीकी समिति

(4) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद् के सतत् शिक्षा के लिए कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति

(5) सामान्य और कार्यकारिणी परिषदें, अनुसंधान कार्यक्रमों पर स्थायी कर्मचारी समिति और अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) की बजट समिति

(6) जवाहर रोजगार योजना के संबंध में केन्द्रीय समन्वय समिति

(7) राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड

4.58 परामर्शदाता (एम ई एम) ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लियाः-

(1) 14-16 नवम्बर 1990 के दौरान एशियन डेवेलपमेंट बैंक मनीला द्वारा ग्रामीण निर्धनता पर आयोजित सेमीनार

(2) आई एल ओ (ए आर पी एल ए) और गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद द्वारा 5-7 दिसम्बर 1990 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित सन् 2000 और उसके बाद रोजगार सेवा की भूमिका पर त्रिपक्षीय राष्ट्रीय कार्यशाला।

(3) शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान और आई एल ओ-ए आर टी ई पी द्वारा 6-7 दिसम्बर 1990 के दौरान एशियन मेगालिपोलिस में आयोजित रोजगार उत्पन्न करने के संबंध में क्षेत्रीय तकनीकी कार्यशाला

X. वित्तीय संसाधन प्रभाग

4.59 वित्तीय संसाधन प्रभाग वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के संदर्भ में वित्तीय आयोजना और नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ऐसे अभ्यास केन्द्र, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में 1990-91 की वार्षिक योजना के साथ-साथ सातवीं योजना की समीक्षा के लिए किये गये थे। इन अभ्यासों के आधार पर राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1990-91 का आकार निर्धारण किया गया था।

4.60 केन्द्रीय योजना का आकार निर्धारित करने के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से अभ्यास किए गए थे। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न केन्द्रीय उद्यमों के आंतरिक तथा बाह्य बजट संसाधनों (आई ई बी आर) का निर्धारण किया गया।

4.61 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1990-91 हेतु केन्द्रीय सहायता का आवंटन सातवीं योजना के लिए अपनाए गए आशोधित गाड़गिल फार्मूले, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा आठवीं योजना हेतु इसका आकार संशोधित किए जाने तक, के आधार पर किया गया।

4.62 आठवीं योजना 1990-95 तथा वार्षिक योजना 1991-92 के लिए संसाधनों के निर्धारण के संबंध में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक योजना 1991-92 के लिए संसाधनों की भविष्यवाणियों के आधार पर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों

के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया ताकि वार्षिक योजना 1991-92 के लिए संसाधनों का निर्धारण किया जा सके। इस विचार-विमर्श में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन विचार-विमर्शों के दौरान सामने आई बातें बाद में कार्यदलों तथा उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच विचार-विमर्श का आधार बनी।

4.63 जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है उन राज्यों के लिए अधिक आवंटन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकारों के साथ परमर्श से वार्षिक योजना 1990-91 के लिए बाजार उधारों तथा जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम से ऋणों द्वारा राज्यवार तथा क्षेत्रवार आवंटनों को अंतिम रूप दिया गया। वित्तीय संस्थाओं को संबंधित राज्यों के लिए ऋण वितरण हेतु व्यवस्था करने की सलाह दी गई।

4.64 आठवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी स्टिरिंग ग्रुप के तत्वाधान में गठित विभिन्न कार्यदलों द्वारा बताए गए संसाधनों के अनुमानों को, 1989-90 के नवीनतम अनुमानों और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रयोग करके संशोधित किया गया। इन अनुमानों का उपयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मुख्य वित्तीय संतुलन तैयार करने के लिए किया गया था।

4.65 सरकार द्वारा स्वीकृत नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों (द्वितीय रिपोर्ट) पर केन्द्र और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के संसाधन निर्धारण के अनुरूप कार्यवाही की गई। योजना अनुदानों विशेष ऋणों, ऋण सहायता, राज्य सरकार के उद्यमों का वित्तीय व्यय तथा सातवीं योजना स्कीमों के लिए अनुरक्षण व्यय और प्रतिबद्ध देयताओं और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP I.C.) के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में की गई सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की गई। नौवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता (चालू कीमतों पर) के लिए भावी अनुमान दिए गए तथा 1989-90 के मूल्यों पर वर्ष वार और राज्यवार आवंटन तैयार करने हेतु अभ्यास किए गए। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए वित्तीय संसाधन प्रभाग एक केन्द्रीय प्रभाग के रूप में कार्य करता है।

4.66 सातवीं योजनावधि में वास्तविक वित्तीय प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। इस समीक्षा के निष्कर्ष वार्षिक योजना 1990-91 तथा आठवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधन पर अध्याय के संबंध में एक निवेश सामग्री के रूप में सामने आए। "राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता" के लिए एक स्टाफ कार्य पत्र तैयार किया गया तथा आशोधित गाड़गिल फार्मूले के संशोधन के लिए अपेक्षित दिशा निर्देश पर विचार-विमर्श के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

4.67 राज्यों को केन्दीय सहायता के वितरण हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार आठवीं योजना के लिए भी अभ्यास किया गया। नौवे वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय सहायता की कुल राशि के आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सात "विशिष्ट विकास समस्याओं" के संबंध में विकसित मानदण्ड का निर्धारण किया गया।

4.68 उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को वित्तीय समस्याओं और उनके समुचित निवारण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उठाए गए कुछ मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्बल राज्यों को सहायता और बाह्य सहायता का तेजी से उपयोग किए जाने का कार्य चल रहा है।

4.69 वर्ष के दौरान, प्रभाग ने निम्नलिखित अध्ययन/अभ्यास किए:-

(1) सातवीं योजना में राज्यों के राजस्व में स्थापना व्यय का हिस्सा,

(2) राज्यों में वाणिज्यिक प्रवृत्ति के योजना व्यय की वृद्धि और हिस्सा ताकि संसाधनों को बढ़ाने के लिए गुंजाइश पैदा हो सके, (3) हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय हेतु प्रावधान तथा कर्मचारियों की संख्या, (4) राज्य द्वारा राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को बजट सहायता में वृद्धि, (5) सातवीं योजना में मुख्यतः राज्यों के संबंध मे कार्यकलापों पर सरकारी क्षेत्र के योजना व्यय के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बजट सहायता में वृद्धि, और (6) भारत में कालेधन के कुछ पहलू।

4.70 योजना आयोग को किए गए निम्नलिखित अध्ययन प्रस्तुत किए गए:-

(i) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली द्वारा स्थानीय निकायों कि वित्त व्यवस्था और प्रबंध क्षमता।

(ii) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नगर पालिका वित्तीय प्रबंध और वित्तीय हस्तांतरण प्रबंध।

(iii) लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा राज्य सरकार के उपक्रमों पर अध्ययन।

इन अध्ययनों की जांच की गई और राज्यों/स्थानीय नीति निर्धारण के संबंध में इनका उपयोग करने हेतु कार्यवाही की गई।

4.71 अगस्त 1980 में सरकारी क्षेत्र के विकास हेतु संसाधन सृजन पर केन्द्रीय लोक उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों की अगस्त, 1990 में हुए वार्षिक सम्मेलन में सलाहकार (वित्तीय संसाधन) ने एक पत्र प्रस्तुत किया।

XI. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था प्रभाग :

4.72 अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था प्रभाग ने, जो कि मुख्यतः भुगतान संतुलन और विदेश व्यापार से सम्बन्धित मामलों के अध्ययन और विश्लेषण के कार्य में रत है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन शीर्षक अध्ययन का मसौदा तैयार किया। सातवीं योजना अवधि में किए गए निर्यात निष्पादन तथा अगले पांच वर्षों के दौरान निर्यात वृद्धि की परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी कई अन्य अध्ययन किए गए। मोटे तौर पर सातवीं योजना के दौरान भुगतान संतुलन निष्पादन की संवीक्षा की गई और आठवीं योजना अनुमानों के लिए 1985-90 में आधार के रूप में चाल्/सतत् कीमतो पर पूर्णयोगों का अनुमान लगाया गया। सातवीं योजना अवधि के दौरान मुख्य निर्यात ग्रुपों के लिए मूल्य अपस्फीति आंकने का कार्य शुरू किया गया। वर्ष 1988-89 और 1989-90 की अवधि के लिए भारत के व्यापार की क्षेत्रवार दिशा का भी विश्लेषण किया गया।

4.73 चीन के उप वित्त मंत्री, श्री ची हैबिन की अध्यक्षता में चीन का उच्चधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल योजना आयोग आया। इस प्रभाग द्वारा विभिन्न बैठकों के लिए सभी प्रारंभिक और समन्वय कार्य किया गया।

4.74 प्रभाग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से 22 से 31 अक्तूबर, 1990 तक नयी दिल्ली में योजना तैयार करने तथा तत्संबंधी तकनीकों पर प्रथम सार्क कार्यशाला आयोजित की गई थी।

4.75 समय-समय पर प्रभाग द्वारा अन्य देशों में अर्थ व्यवस्था विकास और भारत के द्विपक्षीय व्यापार और अर्थ

व्यवस्था सम्बन्धों पर इसके प्रभाग का विश्लेषण किया गया। अन्य देशों के अतिरिक्त सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, कम्यूचिया, स्वीडन, स्विटजरलैंड, पाकिस्तान और जर्मनी आदि का भी अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय अर्थ व्यवस्था पर ई ई सी-1902 जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से प्रभावित विकास और उरूगुवा व्यापार समझौता-वार्ता दौरे के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

4.76 मान लिए गए निर्यातों से सम्बन्धित नीति की भी एक व्यापक समीक्षा की गई। निर्यात और व्यापारिक घरानों के अध्ययन पर आई सी आर आई ई आर द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं और निर्यातों के पूर्वानुमान पर व्यापार विकास प्राधिकरण के अध्ययन की जांच की गई तथा इन पर टिप्पणियां की गई। फसल रोपाई को प्रोत्साहन देने की भी समीक्षा की गई। प्रभाग द्वारा जांच किए गए अन्य मामलों में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के दुग्ध उत्पाद, अप्रवासियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश और उन्हें दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन भी शामिल हैं।

XII. सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्रभाग :

4.77 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के प्रस्तावों को जांचा गया और कार्यदल की बैठकों में उन पर चर्चा की गई। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के योजना प्रस्तावों के संबंध में ऐसी ही कार्रवाई की गई।

4.78 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए संचालन ग्रुप और पांच कार्यदलों की स्थापना की गई जिनमें बड़ी और मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबन्ध सुधार कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रत्येक के लिए एक-एक कार्यदल शामिल है। कार्यदलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4.79 सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 6 जुलाई, 1990 को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास के समग्र विकास में लगे हुए विख्यात सिंचाई इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों की एक बैठक आयोजित की गई। जल संसाधन राज्य मंत्री जी ने भी इस बैठक में भाग लिया।

4.80 जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सदस्य (सिंचाई) योजना आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ कई लगातार बैठकों में समीक्षा की गई।

4.81 सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रबोधन समिति के पुर्नगठन से संबंधी चौथी बैठक की गई।

4.82 सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास के अधिकारियों ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के बारे में जल संसाधन मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग की कई समितियों, संगोष्ठियों, कार्यान्वयन समीक्षा बैठकों में भाग लिया।

4.83 सिंचाई से संबंधी सलाहकार समिति द्वारा विभिन्न सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहु आयामी परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्कीमों के लिए पूंजी निवेश अनुमोदन जारी किए गए :-

क्रम संख्या	स्कीम का नाम
1.	नोहर सिंचाई परियोजना (राजस्थान)
2.	सिदमुख सिंचाई परियोजना (राजस्थान)
3.	हंरग उप-धारी जल-निकास विकास स्कीम (आसाम)
4.	ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना (कर्नाटक) (द्वितीय संशोधित अनुमान)

XIII. प्रबोधन एवं सूचना प्रभाग

वर्ष 1990-91 के दौरान मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं :-

(I) डाटा बैंक

उद्योग और धातु, पैट्रोलियम, ऊर्जा, कोयला और लिग्नाईट कृषि और संगत कार्यकलापों, ग्रामीण विकास और सिंचाई आदि क्षेत्रों की लगभग 7000 केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों से संबंधित न्यूनतम डाटा रिकार्ड को योजना आयोग के डाटा बैंक में अद्यतन किया गया और वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना से संबंधी चर्चाओं के प्रयोग के लिए कम्प्यूटर प्रजनित रिपोर्टों की सहायता से प्रगति विश्लेषण और विवरण विकास के लिए विषयागत प्रभागों को सहायता उपलब्ध कराई गई।

(II) संसाधन पर आधारित नेटवर्कों का विश्लेषण

उद्योग व खनिज, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, विद्युत, कोयला तथा आणविक ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में 20 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक की लागत की संसाधन आधारित नेटवर्कों तथा बार चार्टों का वार्षिक योजना 1991-92 के लिए धनराशि की आवश्यकता के साथ वास्तविक प्रगति को जोड़ने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(III) प्रबोधन एवं सूचना पद्धतियां

योजना आयोग में अनुमोदन के लिए लम्बित परियोजनाओं की स्थिति और आधार-भूत क्षेत्रों के प्रबोधन से संबंधित कार्यों का समन्वय किया गया और इस परियोजना पर प्रधान मंत्री, मंत्रिमडल और सचिवों की समिति द्वारा की जाने वाली बैठकों के लिए विवरण तैयार किए गए।

(IV) प्रशिक्षण

विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के प्रस्तावों की जांच की गई। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिवों के माध्यम से प्रशिक्षण पर विभिन्न योजना स्कीमों का कार्यान्वयन किया गया। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की यू एन डी पी परियोजनाओं की भी जांच की गई।

सिविल लेखा एकक के लिए वित्त व्यवस्था राष्ट्रीय संस्थान और कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में व्यय विभाग के प्रस्तावों की भी जांच की गई।

(V) कार्यालय आधुनिकीकरण

कार्यात्मक ढांचे के माध्यम से कार्य निष्पादन की परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष

1987-88 से सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए योजना स्कीमें शुरू की गई। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अक्तूबर, 1990 में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रभाग के अधिकारियो ने भाग लिया तथा इसमें विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(VI) प्रबन्ध परामर्श विकास

यू एन डी पी सहायता प्राप्त प्रबन्ध परामर्श विकास परियोजना चरण-3 के अन्तर्गत तीन और सार्वजनिक उपक्रमों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का चयन किया गया है। यह इस परियोजना के चरण-2 के अंतर्गत शामिल तीन विद्युत बोर्डों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के अतिरिक्त है। इन छः सार्वजनिक उपक्रमों में आंतरिक प्रबन्ध परामर्श दलों (आई एम सी जी) के रूप में केन्द्रित संस्थानिक रचनातंत्र की स्थापना आंतरिक प्रबन्ध निदान रचनातन्त्र के रूप में की गई है।

इस संबंध में अक्तूबर-नवम्बर, 1990 के दौरान यू एन डी पी से प्रबन्ध परामर्श विकास पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार भारत आये। चयन किए गए सभी छः राज्य विद्युत बोर्डो/राज्य मार्ग परिवहन निगमों में अध्ययन प्रारंभ करने के लिए आई एल ओ, योजना आयोग तथा प्रबन्ध विकास संस्थान (परियोजना के उप-संविदाकारी संस्थान) और आंतरिक प्रबन्ध परामर्श दलों के उच्च अधिकारियों और सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया। प्रख्यात प्रबन्ध परामर्शदाताओं/संगठनों के साथ भारत में प्रबन्ध परामर्श विकसित करने की दृष्टि से नियमित पारस्परिक कार्यकलाप किये गए। इस संबंध में योजना आयोग में बैठकें आयोजित की गई और शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों के लिए एक कार्य-दल का गठन किया। कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसका इन बैठकों में अनुमोदन कर दिया गया है और परामर्श संबंधी विकास के विभिन्न पहलुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक दल का गठन किया गया।

(VII) निर्माण पद्धति और प्रौद्योगिकी

निर्माण की पद्धति और प्रौद्योगिकी में सुधार लाने संबंधी एक कार्यदल की स्थापना, निर्माण क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयो और विशेषज्ञ संस्थानों से सदस्य लेकर की गई थी जिसने अगस्त, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसे विभिन्न मंत्रालयो मे उनके विचार प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया।

(VIII) डाटा बेस में सुधार करना

योजना, नीति बनाने के लिए डाटा बेस में सुधार निर्देशन और समीक्षा के लिए एक तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए डाटा बेस मे सुधार के लिए दूसरी दो स्थायी समितियां गठित की गई थीं।

स्थायी समिति के विचारार्थ संबंधित क्षेत्रों के लिए डाटा बेस में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के संबंध में वर्तमान स्थिति को उजागर करता हुआ एक पृष्ठभूमि नोट तथा साथ ही उठाये गये कदमों पर एक स्वःस्पष्ट नोट तैयार किया गया।

(IX) अन्य सेवाएं

योजना आयोग में सभी प्रभागों को चार्ट, नक्शे तथा उपकरण उपलब्ध कराये गए।

XIV. भावी योजना प्रभाग :

4.84 भावी योजना का प्रयोजन विकास के अभिगृहीत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युक्तियुक्त और संगत लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

4.85 पंचवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया में मानव तथा भौतिक संसाधनों के अनुपयोग के लिए कार्यक्रम तैयार करना शामिल है। पंचवर्षीय योजना को आकार देते समय भावी योजना प्रभाग अंतरक्षेत्रकीय संबंधों को ध्यान में रखता है। इससे मैक्रो आर्थिक, सकल रोजगार राष्ट्रीय आय, खपत, पूंजी निवेश तथा बचत भुगतान शेष संबंधी क्षेत्रकीय कार्यक्रमों का प्रभाव स्थापित करने में सहायता मिलती है।

4.86 प्रभाग का कार्य अन्तर-विषय है। अतः अर्थमिति माडलिंग के मैक्रो-आर्थिक ढांचे में कृषि, उद्योग और आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक सेवाएं जन्म मृत्यु आंकड़े और रोजगार, वित्तीय संसाधनों, भुगतान शेष जैसे आर-पार क्षेत्रों में अन्तर कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका गठन किया गया है।

4.87 प्रभाग सोवियत संघ के साथ दीर्घावधि आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर अपने कार्य के लिए योजना आयोग की सहायता करता है। यह राष्ट्रीय संदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय लेखाओं पर सलाहकार समिति और जनसंख्या जनगणना तथा आर्थिक जनगणना की संचालन समिति की शासी परिषद में आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

4.88 आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी से संबंधित 1989-90 के दौरान पूर्ण की गई तथा वर्ष 1990-91 के दौरान चल रही मुख्य गतिविधियां नीचे दिए अनुसार हैं :-

(I) आठवीं योजना के लिए विकास संबंधी योजना माडल तैयार किये गए जिनमें— इनपुट-आऊ-टपुट माडल, पूंजी निवेश माडल, खपत माडल और योजना के लिए दर और विकास पद्धति माडल शामिल हैं।

(II) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी कम करने के वैकल्पिक दृश्यविधान के अनुरूपण और गहन पूंजी निवेश आदानों, ऊर्जा और उर्वरकों के संरक्षण से संबंधी कार्यकलाप।

(III) आठवीं योजना के लिए इनपुट-आऊटपुट माडल के क्षेत्रकीय लक्ष्यों के संगत निर्यात और आयात, आऊटपुटों के लक्ष्यों के मद-वार विस्तृत अनुमानों को, सामग्री संतुलनों की पद्धति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया।

(IV) योजना अनुमानों के लिए निवेश— उत्पादन माडल के आधार को रूप देने के लिए 1989-90 के 60 क्षेत्रीय निवेश-उत्पादन तालिका के अद्यतन के कार्य को हाथ में लिया गया, जिसमें केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा समेकित 1983-84 के लिए 115 क्षेत्र अन्तर-उद्योग मैट्रर्स मेट्रिक्स का प्रयोग किया गया।

(V) आठवीं योजना के लिए संसाधन कार्यदल की संसाधन संबंधी गतिविधियों के संबंध में और आगे इसके द्वारा गठित उप-दलों के लिए अध्ययन किया गया। इसमें सकल स्थानीय उत्पाद,

जनता द्वारा बचत, निजी निगम और घरेलू क्षेत्र, पूंजी निवेश और भुगतान शेष के अनुमान शामिल हैं।

(VI) आठवीं योजना दस्तावेज के लिए "उद्देश्य और योजना" और "विकास और सापेक्ष महत्व" के अध्याय भी तैयार किए गए। इस प्रभाग में निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए गए :-

(क) आठवीं योजना में वित्तीय आयाम और क्षेत्रकीय आवंटन।

(ख) आय और पूंजी निवेश में ग्रामीण-शहरी भेदभाव।

(ग) योजना परिव्यय के ग्रामीण अवयवों के निर्धारण पर केन्द्रीय विभागों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मार्गनिर्देश।

(घ) भुगतान शेष तथा मूल्यों पर खाड़ी संकट के प्रभाव।

(ङ) निवेश-उत्पादन तालिका के चयनित क्षेत्रों में ऊर्जा के निवेश निरूपक पर संरक्षण उपाय का प्रभाव।

(च) सार्क देशों के सम्मेलन में "भारत के लिए योजना माडलिंग तकनीक" पर विचार-विमर्श।

(छ) सातवीं योजना अवधि के संबंध में हाल ही के वर्ष में कीमतों में वृद्धि—तथ्यात्मक कारणों का उपयोगी वस्तु स्तर का विश्लेषण।

4.89 निम्नलिखित डाटा आधार और डाटा आधारित विश्लेषण तैयार किए गए :

1. सार्क देशों की सामाजिक-आर्थिक तुलनाओं के लिए आंकड़ों के समेकन के लिए प्रपत्र।
2. 1984-85 से 1988-89 की अवधि के दौरान लघु स्तर क्षेत्र से औद्योगिक वृद्धि का अंशदान।
3. सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विकास के प्रमुखों द्वारा योजना व्यय।
4. 1987-88 के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का राज्य-वार अनुमान।
5. रोजगार पैदा करने की दृष्टि से विभिन्न निवेश क्षेत्र और उत्पाद क्षेत्रों का संगत महत्व।
6. कोयला, तेल, विद्युत, लोहा व रेलवे यातायात के लिए सामग्री संतुलन और कृषि पैदावार के लिए क्षेत्र संतुलन।

4.90 वर्ष के दौरान तैयार की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछ इस प्रकार हैं :-

(I) भारत-रूस व्यापार वृद्धि की संभावनाएं और उसमें समस्याएं

(II) निवल पुनः प्रजनन दर ईकाई आंकड़े के अन्तर्गत जनसंख्या स्थिर रखने की संभावना

(III) भारत में शिक्षा

(IV) आवास दृश्य विधान

(V) शहरी विकास भविष्य

(VI) समाज के विभिन्न अंगों द्वारा चिकित्सा सेवाओं की उपयोगिता

(VII) परिवार नियोजन पद्धति पर वैकल्पिक अवलोकन।

4.91 प्रभाग ने निम्नलिखित दलों के लिए सचिवालय का कार्य किया :-

(क) "गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान" पर विशेषज्ञ दल

(ख) वर्ष 2000 तक आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम पर भारत-रूप कार्यदल

(ग) सलाहकारों (अवैतनिक) का पैनल।

4.92 आठवीं योजना की पहुंच पर विचार करने के लिए जून, 1990 में अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई गई।

XV. योजना समन्वय प्रभाग

4.93 योजना समन्वय, प्रभाग योजना आयोग से संबंधित संसदीय कार्य सहित विभिन्न योजना क्रियाकलापों का समन्वय करता है। प्रभाग नियोजित आर्थिक विकास से संबंधित दस्तावेजों और नीति मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए पूर्ण योजना आयोग बैठकों, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों, योजना मंत्रालय से सम्बद्ध संसद की परामर्शदात्री समिति की बैठकों और निरन्तर आधार पर आयोग की आंतरिक बैठकों के आयोजन के लिए उत्तरदायी हैं। यह वार्षिक योजना-केन्द्र, पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों आदि को रूप देने से संगत सभी क्रियाकलापों का भी समन्वय करता है और इन दस्तावेजों को प्रकाशित कराता है। यह भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के बीच केन्द्रीय योजना आवंटन के लिए उत्तरदायी है।

4.94 आयोग में वार्षिक योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संबंध में योजना आयोग की गतिविधियों और आंतरिक बैठकों, पूर्ण योजना आयोग की बैठकों, अन्तर-मंत्रालयी बैठकों, अलग-अलग सदस्यों तथा उपाध्यक्ष द्वारा की गई बैठकों आदि से संबंधित काम को भी प्रत्येक माह प्रभाग द्वारा मानीटर किया गया और ए से क्रियाकलापों का सारांश मंत्रिमंडल सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को, सचिव, योजना आयोग की ओर से अर्धशासकीय पत्र के रूप में भेजा गया।

4.95 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की दो बैठकें आयोजित की गईं। राष्ट्रीय विकास परिषद की इकतालीसवीं बैठक 18-19 जून, 1990 को आयोजित की गई जबकि बयालीसवीं" बैठक 11 अक्तूबर, 1990 को आयोजित की गई। योजना समन्वय प्रभाग ने बैठकों के निर्विघ्न संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक और सचिवालीय सहायता उपलब्ध कराई।

4.96 आठवीं योजना दस्तावैज में शामिल करने के लिए क्षेत्रकीय मसौदा अध्यायों तथा साथ ही साथ समय-समय पर उत्पन्न अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए वर्ष के दौरान आयोग की कई आंतरिक बैठकें आयोजित की गईं। प्रभाग ने संबंधित विभागों से अपेक्षित भूमिका संबंधी सामग्री का समन्वय करके निम्न बैठकों का आयोजन किया।

4.97 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने से संबंधित गतिविधियों में, आवश्यक निदेश तथा मार्ग निर्देशन के लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजित पूर्ण योजना आयोग की बैठकों से रूकावट आई। चर्चा के लिए

भूमिका संबंधी सामग्री जुटाते हुए प्रभाग ने इन बैठकों का समन्वय किया और इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की।

4.98 योजना आयोग की वर्ष 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट विभिन्न प्रभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर तैयार की गई जिसका सम्पादन और संशोधन प्रभाग के पास उपलब्ध सामग्री से किया गया।

4.99 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को, उनके वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना संबंधी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए दिए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन किया गया।

4.100 वार्षिक कार्यक्रम (केन्द्र) 1991-92 को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, योजना आयोग तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सितम्बर-दिसम्बर, 1990 के महीनों में अन्तर मंत्रालयी चर्चाओं का आयोजन किया गया।

4.101 प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में सकल/निवल बजटीय सहायता, विदेशी सहायता, आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई इ वी आर) आदि के बारे में प्रभाग द्वारा वैकल्पिक परिदृश्य तैयार किया गया ताकि 1991-92 के वार्षिक योजना (केन्द्र) परिव्यय को अन्तिम रूप दिया जा सके।

4.102 वार्षिक कार्यक्रम के लिए जिन आवंटनों/परिव्ययों पर सहमति हुई थी उनकी सूचना वर्ष 1991-92 के व्यय बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा वित्त मंत्रालय को दे दी गई थी।

4.103 1991-92 के केन्द्रीय बजट के लेखा अनुदान के पारित होने के पश्चात् 1990-91 के केन्द्रीय पुनरीक्षित प्राक्कलन वाले विवरण तथा 1991-92 के लिये अनुमोदित योजना परिव्यय तैयार किए गए थे तथा प्रभागों के बीच वितरित किए गए थे।

4.104 संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा 1991-92 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में प्रयोग किए जाने के लिये सामग्री संकलित की गई तथा उसे क्रमशः प्रधानमंत्री कार्यालय एवं वित्त मंत्री क कार्यालय में भेजा गया।

4.105 जैसा कि अतीत में किया गया था, प्रभाग ने भारत-1990, वर्ष 1990-91 के बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण, इंडिया अकानामी, 1990 से संबंधित आदि जैसे विभिन्न प्रकाशनों के लिए अद्यतन मूल आंकड़े उपलब्ध कराये।

4.106 केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की स्थिति की समग्र जानकारी देते हुए एक विस्तृत विवरण और भी तैयार किया गया और उसे 24.12.1990 को आयोजित पूर्ण योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

4.107 प्रभाग द्वारा आठवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण, आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने, राज्यों में केन्द्रीय निवेश, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की स्थिति आदि के बारे में अनेक संसदीय प्रश्नों का निपटान किया गया।

XVI. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग

4.108 केन्द्रीय सरकार के निवेश प्रस्तावों पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) व्यय वित्त समिति (इ एफ सी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समिति (पी पी आई बी) द्वारा विचार किए जाने से पूर्व, योजना आयोग का परियोजना मूल्यांकन प्रभाग उन प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार करता है।

4.109 वर्ष 1989-90 के दौरान 34,495.02 करोड़ रुपये की पूंजी लागत की 93 परियोजनाओं की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान 44,831.00 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत की 128 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन परियोजनाएं नई तथा वे भी थीं जिन्हें संशोधित लागत मूल्यों (आर सी ई) के लिए स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक थी।

4.110 वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मूल्यांकित की गयी परियोजनाओं के क्षेत्रवार वितरण 4.1 तालिका में दिया गया है।

4.111 मौलिक और आर सी ई प्रस्तावों के लिए मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार करने के अलावा प्रभाग ने वर्ष 1989-90 और अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान प्रस्तावों पर 11 पूरक टिप्पणियां जिनका पहले मूल्यांकन किया गया था और परियोजनाओं से संबंधित प्रथम चरण पर 13 मूल्यांकन टिप्पणियां जारी कीं।

4.112 प्रभाग ने नवम्बर, 1990 में बहरीन सरकार के अधिकारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के मूल्यांकन में विविध प्रणालियों से संबंधित पहलुओं पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की। प्रभाग विगत समय में पहले ही मूल्यांकित परियोजनाओं के लिए डाटा बैंक तैयार करने में लगा रहा है।

4.113 चुनिंदा क्षेत्रों, जैसे संसाधित उद्योग, ऊर्जा, कोयला, धातुकर्मीय उद्योग, इंजीनियरी उद्योग, सीमेंट, कागज और अखबारी कागज में साध्यता रिपोर्टों को तैयार करने के लिए प्रभाग द्वारा पहले विकसित मसौदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

4.114 भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना करनाली बहु-उद्देशीय पन-विद्युत परियोजना के मूल्यांकन के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986-87 में गठित समिति में प्रभाग का प्रतिनिधित्व जारी रहा।

4.115 प्रभाग ने योजना आयोग को प्राप्त विचारार्थ परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन में प्रयोग में आने वाले राष्ट्रीय मापदंड को विकसित करने के लिए आर्थिक विकास संस्थान को अध्ययन करने का कार्य सौंपा है।

तालिका 4.1

(लागत करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	सैक्टर	1989-90		1990-91	
		परियोजनाओं की संख्या	कुल पूंजीगत लागत	परियोजनाओं की संख्या	कुल पूंजीगत लागत
1.	शहरी विकास	1	37.70	-	-
2.	इलैक्ट्रानिकी	2	112.84	3	72.29
3.	कृषि और सिंचाई	5	421.04	4	1392.62
4.	पैट्रोलियम औरप्राकृतिक गैस	16	10036.84	15	10784.83
5.	ऊर्जा (कोयले सहित)	28	16479.47	41	23296.24
6.	भूतल परिवहन	19	1172.68	22	1514.44
7.	रसायन और पैट्रोरसायन	4	254.45	2	3031.95
8.	उर्वरक	3	768.35	5	767.80
9.	सार्वजनिक उपक्रम	3	439.06	12	1284.00
10.	लोह और खनिज	5	2823.79	7	764.95
11.	संचार, सूचना और प्रसारण	4	292.57	13	387.73
12.	आर्थिक कार्य	1	1392.70	-	-
13.	नागर विमानन	2	263.53	1	1407.76
14.	ग्रह	-	-	1	83.70
15.	विज्ञान और तकनीकी	-	-	2	42.69
	कुल	93	34495.02	128	44831.00

XVII. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

(क) विद्युत एकक

4.116 विद्युत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना 1990-91 की समीक्षा और वार्षिक योजना 1991-92की तैयारी की गई। उपदलों की रिपोर्टों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत सेक्टरों के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत टिप्पणियां तैयार की गईं।

4.117 एन टी पी सी और एन एच पी सी के क्रमशः नवीन सुपर तापीय विद्युत स्टेशनों और हाईडल परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया। एकक ने सी ई ए द्वारा परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकनों में भी भाग लिया।

4.118 लोयर सिलैरू (आंध्र प्रदेश) और बरसूर (मध्य प्रदेश) के बीच राष्ट्रीय एच वी डी सी की प्रायोगिक लाईन स्थापित की गयी। परियोजना का डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, परीक्षण और प्रतिष्ठापन पूर्णतया स्वदेशी था। यह एकक इन कार्यों के साथ सम्बद्ध रहा।

4.119 विद्युत बोर्डों और विद्युत विभागों (सितम्बर, 1990) के कार्यकलापों और वित्तीय निष्पादन से संबंधी वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई और इसे संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों और विभागों को भेजा गया।

4.120 राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उनके संसाधनों के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

4.121 विद्युत विभाग द्वारा आयोजित राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक के संबंध में कार्य-सूची के कागजातों की जांच की गई और उन पर टिप्पणियां तैयार की गईं।

(ख) कोयला एकक

4.122 भावी आर्थिक योजनाओं के लिये कोयले और लिग्नाइट के पिछले निष्पादन एवं संभावनाओं के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के लिए भौतिक लक्ष्यों, वित्तीय आवश्यकताओं और नीति संबंधी उद्देश्यों के संबंध में तैयार की गई। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने हेतु इस पर योजना सचिव द्वारा कोयला सचिव के साथ एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1990-95 के लिए कोयला और लिग्नाइट पर एक प्रारूप अध्याय पूरा किया गया जिससे योजना आयोग में इस पर विचार किया जा सके।

4.123 कोयला और लिग्नाईट क्षेत्र के संबंध में वार्षिक योजना 1991-92 के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्य शुरू किया गया और पूरा किया गया।

4.124 एकक ने देश में लिग्नाईट खोज के लिए गठित विभिन्न विशेषज्ञ समूहों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। एकक को केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड और अन्य निकायों का सहयोग लेकर देश के कोयला खोज कार्यक्रम में सहभागी बनाया गया।

4.125 एकक दीर्घावधिक योजना लिकेजिज, पर्यावरण मूल्यांकन, कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास,

खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण, भूमिगत कोयला गैसीकरण आदि से संबंधित कई अन्य तथा दीर्घकालिक स्थायी समितियों में भाग लेता रहा।

4.126 एकक ने कोयला और विद्युत परियोजनाओं के तीव्र गति से कार्यान्वयन हेतु कृतक बल को, जिसके अध्यक्ष योजना सचिव हैं, सचिवालीय सहायता देना जारी रखा।

4.127 अधिकारियों ने क्षेत्रीय दौरे किये और संगोष्ठियों, कार्यशालाओं इत्यादि में भाग लिया और खनिज कार्यों और खनिज उपकरणों के क्षेत्र में अद्यतन विकास के अध्ययन के लिए कोयला पर भारत यू के संयुक्त दल के अधीन यूनाइटेड किंगडम के भारतीय कोयला मिशन में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

(ग) पैट्रोलियम एकक

4.128 पैट्रोलियम सैक्टर के लिए सातवीं योजना और वार्षिक योजना 1990-91 की समीक्षा की गई और आठवीं योजना तथा वार्षिक योजना 1991-92 की तैयारी का कार्य शुरू किया गया।

4.129 सभी उप समूहों की मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार की गईं और एकक ने पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर कार्यकारी ग्रुप द्वारा आठवीं योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श में भाग लिया और इसमें सहायता की।

4.130 एकक के अधिकारियों ने कुछ तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए बम्बई समुद्र अपतट का दौरा किया।

4.131 एकक ने सैक्टोरल कार्यकारी समूहों और समितियों में भी प्रतिनिधित्व किया जो इस प्रकार हैः-

(1) टैंक वेगन आवश्यकता और पैट्रोलियम उत्पाद परिवहन समिति;

(2) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के भू-विज्ञान के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति;

(3) तेल और गैस के कुओं से संबंधित ब्लो-कट समिति;

(4) प्राकृतिक गैस की मूल्य निर्धारण समिति; और

(5) प्राकृतिक गैस के आवंटन और प्रयोग से संबंधित विभिन्न मामलों पर योजना आयोग के सचिव के अध्यक्षता वाली उच्च स्तर की समितियों में भी प्रतिनिधित्व किया।

4.132 एकक ने आठवीं योजना के दौरान कच्चे तेल की संभाव्यता, आठवीं योजना के दौरान भंडार के आंकलन का पुनः मूल्यांकन करने, आठवीं योजना के दौरान की जाने वाली खोज और विकास की प्रस्तावित नीति तैयार करने आठवीं योजना में संपूर्ण पैट्रोलियम सैक्टर के लिए अग्रता वाली योजनाओं को तैयार करने, और परिव्यय का आंवटन करने, प्राकृतिक गैस इत्यादि का मूल्य निर्धारण करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अंतर्देशीय तकनीकी टिप्पणियां तैयार कीं। खाड़ी संकट को दृष्टि में रखकर, एकक ने उन उद्योगों की प्लांटवार एक सूची तैयार की जहां आगामी छः महीनों और कुछ वर्षों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जा सकता है। आठवीं योजना में अतिरिक्त शोधनक्षमता एक नोट तैयार किया। एकक ने विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की एक विस्तृत योजना भी तैयार की है।

XVIII. ऊर्जा नीति प्रभाग

4.133 यह प्रभाग अर्थात् ऊर्जा नीति प्रभाग 1 सितम्बर, 1988 से योजना आयोग के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रभाग ने ऊर्जा संबंधी भूतपूर्व सलाहकार बोर्ड के उत्तरदायित्वों को संभाला। योजना आयोग में कार्य कर रही ऊर्जा माडलिंग एकक ऊर्जा नीति प्रभाग का एक अंग बन गई है।

4.134 ऊर्जा माडलिंग का कार्य 1986-87 में आरंभ किया गया था। "भावी योजना एवं वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए नीति" शीर्षक से एक रिपोर्ट का मसौदा वर्ष के दौरान संबंधित सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों और ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न संगठनों में परिचालित किया गया जिससे उनके विचार जाने जा सकें और माडल बनाने के कार्य में आगे सुधार में सहायता मिल सके।

4.135 यह कार्य एक सतत् प्रकृति का है अतएव माडल में अपनाई गई अवधारणाओं और तकनीकी एवं लागत मानदंडों की समय-समय पर पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता है जो अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा दृश्य-विधान में किये गये परिवर्तनों पर आधारित है। कोयला, विद्युत और तेल उप-माडलों में अपनाये गये विभिन्न तकनीकी मापदंडों की समीक्षा की गई।

4.136 ऊर्जा सैक्टर विकास की आठवीं योजना कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय ऊर्जा माडलिंग कार्य के परिणामों को ध्यान में रखा गया है।

4.137 समेकित क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों का अध्ययन करने के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान, बम्बई ने कार्य करना आरंभ कर दिया। संस्थान ने हाल में अध्ययन पूरा कर लिया है और "आठवीं योजना के लिए पश्चिमी और दक्षिणी विद्युत ग्रिडों के वैकल्पिक दृश्य विधानों का अनुरूपण" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संबंधित विभाग से परामर्श करके रिपोर्ट की अभी छानबीन की जा रही है।

4.138 प्रभाग ने अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न आयामों के लिए ऊर्जा की मांग के पूर्वानुमान के अध्ययन का भी कार्य किया। यह कार्य "स्केप" के क्षेत्रीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम का एक भाग है। एक राष्ट्रीय गोष्ठी क्षेत्रीय ऊर्जा मांग पर एक रिपोर्ट का मसौदा भी प्रस्तुत किया गया जिसमें ऊर्जा संगठन और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। संगोष्ठी में प्राप्त सुझावों के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय रिपोर्टों के मसौदों में संशोधन किया जा रहा है। माडलिंग कार्य के लिए डाटा-बेस को सुदृढ़ तथा अद्यतन बनाया गया है।

XIX. ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग

4.139 राज्य विद्युत बोर्डों को जिला स्तरों पर प्रणाली सुधार योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गयी है जिससे ग्रामीण वितरण प्रणाली अतिरिक्त भार उठा सके और वितरण खामियों को कम किया जा सकेगा।

4.140 वायु टरबाइनों के विकास के विशेष संदर्भ के साथ नये और नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम की संवीक्षा की गयी और यह निर्णय किया गया कि 200-250 किलोवाट मशीनों के विकास के लिए तकनीक को अपनाया जाये। विद्युत विभाग और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग में ऊर्जा संरक्षण कक्षों के साथ मिलकर कार्यक्रम की संवीक्षा की गई। ऊर्जा संरक्षण के लिए एक चल निधि के सृजन के लिए आई डी बी आई के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। राज्य विद्युत बोर्डों और ऊर्जा विकास एजेंसियो को ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम पर कार्य करने की सलाह दी गई।

4.141 ऊर्जा संरक्षण का कार्य 1989-90 के दौरान प्रभाग को सौंपा गया। ऊर्जा विभाग में ऊर्जा संरक्षण कक्षों तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के साथ कार्यक्रम की समीक्षा की गई। ऊर्जा संरक्षण के लिए परीक्रामी निधि के सृजन के सम्बन्ध में आई डी बी आई के साथ विचार-विमर्श किया गया। राज्य विद्युत बोर्डों और ऊर्जा विकास एजेन्सियों को ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की सलाह दी गई।

4.142 ग्रामीण विद्युतीकरण, नये और नवीकरण-योग्य ऊर्जा स्रोतों, समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम और ऊर्जा संरक्षण पर आठवीं योजना मसौदे अध्याय तैयार किये गए।

4.143 समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना (आई आर ई पी) कार्यक्रम 205 ब्लाकों और राज्य स्तर के 31 कक्षों में परिचालनरत है जिसकी स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी गयी है। आई आर ई पी स्टाफ और ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में प्रशिक्षण देने के लिए तीन राष्ट्रीय आई आर ई पी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये (दिसम्बर, 1990 तक)।

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना केन्द्र

4.144 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में योजना आयोग और दिल्ली प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्र ने मार्च, 1990 में कार्य करना आरंभ कर दिया। केन्द्र में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं सहित 9 कार्यक्रम आयोजित किये गये।

XX. ग्रामीण विकास प्रभाग

4.145 प्रभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) और वार्षिक योजना (1991-92) के संबंध में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और ग्रामीण विकास विभाग (कृषि और सहकारिता मंत्रालय) के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया और वार्षिक-योजना (1991-92) के प्राक्कलनों को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य किया। प्रभाग ने वार्षिक योजना (1990-91) के दस्तावेज तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम एन पी), 20-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित अध्यायों के प्रारूप तैयार किये।

4.146 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विकास पर एक अध्याय का प्रारूप तैयार किया गया।

4.147 प्रभाग में निम्नलिखित कागजात तैयार किये गये :-

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और

(2) 20-सूत्री कार्यक्रम—आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विचार।

4.148 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण, राजस्व प्रशासन के रिवाटेला इंजेशन पर राष्ट्रीय आयोग, ग्रामीण निर्धन और ग्रामीण और देशी योजना से संबंधित नई योजनाओं की जांच की गयी।

डी पी ए पी और डी डी पी पर राष्ट्रीय समिति

4.149 योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित सूखाग्रस्त बहुत क्षेत्र कार्यक्रम पर राष्ट्रीय समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सामाजिक-अर्थ-व्यवस्था दल की बैठकें-स्वैच्छिक

4.150 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की दृष्टि से, जून, 1990 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में चुने हुए स्वैच्छिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गयी।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

4.151 "मिलियन कूप योजना और चक्रीय विकास प्रणाली" के कार्यकरण का पहला अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रभाग के एक अधिकारी ने बिहार में छोटा नागपुर प्रभाग का दौरा किया। "कुरुक्षेत्र" चक्रीय विकास प्रणाली—एक यूनीक ड्राट प्रूफिंग पर एक लेख भी प्रकाशित किया गया।

4.152 "भूमि पर अधिकार के दस्तावेजों के स्तर" से संबंधित गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्री संस्थान, पुण के प्रो डी सी वधवा की अध्यक्षता वाली एक-सदस्यीय समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1992 तक बढ़ा दिया गया है।

4.153 सूखाग्रस्त क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में नांन-फार्म रोजगार के लिए राजस्थान परियोजना पर केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की जांच की गयी। प्रभाग का एक अधिकारी इस केन्द्रीय दल का सदस्य है।

4.154 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान देने हेतु प्रस्तावों पर आगे विचार करने और कार्य विधि के सरलीकरण के लिए दल की संबंधित सिफारिशों की जांच की गई और उनके विचारों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भेज दिया गया।

XXI. समाज कल्याण और पोषाहार प्रभाग

4.155 समाज कल्याण और पोषाहार प्रभाग, समाज कल्याण पोषाहार की महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये गए।

4.156 आठवीं योजना के परिप्रेक्ष्य में महिला विकास के लिए समस्याओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए सामाजिक-अर्थव्यवस्था समूहों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

4.157 इनमें से प्रत्येक सैक्टर के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये जो आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का आधार होते थे।

4.158 "भारत में बालिका" पर एक विशेष कागजात तैयार किया गया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय योजना के बारे में मंत्रिमंडल नोट और महिलाओं पर सांविधिक आयोग की स्थापना की जांच की गई और इससे संबंधित टिप्पणियां महिला और बाल विकास विभाग को भेज दी गई हैं। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित विषयों पर स्वैच्छिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए प्रभाग ने महिला और बाल विकास विभाग की बैठक में भाग लिया। इस विषय पर प्रस्तावित लोक सभा बिल की भी जांच की गई।

4.159 प्रभाग आठवीं योजना और वार्षिक योजना 1991-92 अध्याय को अंतिम रूप देने और 1990-91 के दौरान महिला विकास और सामाजिक विकास और पोषाहार से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का आंकलन करने में व्यस्त रहा।

XXII. सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग

4.160 सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग ने योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के संबंधित प्रभागों, केन्द्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकी इकाईयों तथा राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकीय निदेशालयों के साथ सन्निकट सहयोग का कार्य करना जारी रखा।

4.161 प्रभाग ने "सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी" शीर्ष के अन्तर्गत वार्षिक योजना 1990-91 तथा वार्षिक योजना 1991-92 में शामिल किये जाने के लिए राज्य सरकारो/संघशासित प्रदेशो के प्रस्तावों की जांच की। प्रभाग के अधिकारियों ने बैठकों में भाग लिया तथा टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

4.162 आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 तथा वार्षिक योजना 1991-92 में सांख्यिकीय विभाग तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय की सांख्यिकीय स्कीमों के प्रस्तावित तकनीकी ब्यौरों को शामिल करने के लिए जांच की गई तथा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई।

4.163 "भारत की अर्थ व्यवस्था आंकड़ो में, 1990" नामक फोल्डर (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) तथा "भारतीय अर्थ व्यवस्था संबंधी आधारभूत आंकड़े, 1989" के अंक प्रकाशित किए गए। मूल सांख्यिकीय से संबंधी 1990 की पांडुलिपि को भी अंतिम रूप दिया गया।

4.164 यह प्रभाग योजना आयोग द्वारा गठित निम्नलिखित समितियों से सम्बद्ध रहा :-

(1) योजना तथा नीति निर्धारण हेतु डाटा बेस का निर्देशन तथा समीक्षा सुधार करने के लिए स्थायी समिति, तथा

(2) विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के लिए डाटा बेस में सुधार के लिए स्थायी समिति।

XXIII. आवास, शहरी विकास तथा जल-पूर्ति प्रभाग :

4.165 प्रभाग ने आवास, शहरी विकास तथा जल-पूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्रों से संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का संवर्धन जारी रखा।

4.166 आठवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1991-92 से संबंधित कार्यों को पूरा किया गया और प्रभाग द्वारा बड़े कार्यकलापों को पूरा किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना (1991-92) और आवास, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक कार्य, लेखन-सामग्री और मुद्रण और जल-पूर्ति तथा स्वच्छता सैक्टर से संबंधित राज्यो/संघ शासित प्रदेशों के प्रस्तावो को अंतिम रूप देने से पहले उन पर संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभागों के केन्द्रीय सैक्टर के अधीन प्रस्तावों के संबंध में इसी प्रकार की कार्रवाई की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के रूप में आवास और शहरी विकास के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आवास, शहरी विकास और जल-आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधी उप-सैक्टरों को तैयार किया गया और वार्षिक योजना 1990-91 दस्तावेजों में जोड़ने के लिए इसे उपलब्ध कराया गया।

4.167 वार्षिक योजना 1990-91 के लिए राज्य सरकारों/संघशासित सरकारों के भौतिक लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए प्रभाग ने शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग की बैठकों में भाग लिया।

4.168 प्रभाग के अधिकारियों ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लिया जिससे राष्ट्रीय आवास नीति को पुनः संरचना की जा सके और इसे शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न आय ग्रुपों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

4.169 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में सम्मिलित किये जाने के लिए आवास, शहरी विकास और जल-पूर्ति और स्वच्छता सैक्टरों के लिए सामग्री का प्रारूप तैयार किया गया।

4.170 प्रभाग द्वारा "आवास, वित्त और भारत की गरीब समस्या-समस्याएं और लक्षण" नामक एक अध्ययन सार्वजनिक वित्त और नीति, राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली द्वारा पूरा किया गया और जुलाई, 1990 के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

XXIV. बहुस्तरीय आयोजन एकक :

4.171 बहुस्तरीय आयोग एकक, आयोजना के विभिन्न पहलुओं सहित निम्नलिखित कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध है :

(1) आयोजना प्रणाली का विकेन्द्रीकरण,

(2) राज्यों में योजना तंत्र को सुदृढ़ करने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम,

(3) आयोजना के प्रभारी अधिकारियों का प्रशिक्षण,

(4) क्षेत्रीय आयोजना तथा प्रादेशिक असंतुलन, एवं

(5) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

4.172 उपरोक्त के संबंध में निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

(1) आयोजना प्रणाली का विकेन्द्रीकरण :

योजना आयोग काफी समय से योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्यों को जिला स्तरों और उससे नीचे के स्तर तक ले जाने के विचार को प्रोत्साहित करता रहा है। काफी पहले 1969 में, योजना आयोग ने तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य, प्रोफेसर सी एच हनुमंत राव, की अध्यक्षता में जिला योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट 1984 में उपलब्ध हुई और तब से ही यह जिला योजनाओं से संबंधी आगे की कार्रवाई के लिए एक आधार बनी हुई है।

जिला योजनाओं को तैयार करने पर बल दिया जाना इस तथ्य पर आधारित है कि इससे आयोजना प्रक्रिया में और ज्यादा वास्तविकता आयेगी तथा लोग इसमें और ज्यादा सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को, तिरूनलवेली (तमिलनाडु) नासिक (महाराष्ट्र), मुंगेर (बिहार), सीतापुर (उत्तर प्रदेश) तथा शिमला (हिमाचल प्रदेश) के प्रत्येक जिले के लिए पांच पायलट योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया। ये योजनाएं जिला प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के स्टाफ के परामर्श से तथा उनके मार्गदर्शन में तैयार की गईं। बाद में उन पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में विचार-विमर्श किया गया तथा विस्तृत

मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये और इसे सभी राज्य सरकारों/संघशासित सरकारों को भेजा गया जो उनकी जिला योजनाओं को तैयार करने के लिए आधार बनेंगी।

इसके बाद, योजना सचिवों की बैठक के अनुसरण में, योजना आयोग द्वारा दो अध्ययन दलों का गठन किया गया-एक प्रशिक्षण के लिए तथा दूसरा सूचना अंतराल के लिए। इन दलों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(2) राज्यों में योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण

योजना आयोग, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है। योजना तंत्र के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य स्तर के योजना स्टाफ के लिए 2/3 केन्द्रीय सहायता तथा जिला स्तर पर 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। 50 : 50 के आधार पर राज्य प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण स्टाफ के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायतार्थ स्कीम के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। योजना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के अलावा, यह भी महसूस किया गया है कि विकेन्द्रित आयोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ माडल योजनाएं तैयार की जाएं ताकि जिला स्तर के प्राधिकारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए राज्यों को विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा प्रत्येक राज्य को 50 : 50 के आधार पर एक लाख रुपए तक की सहायता दी गई। योजना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष के बजट प्रावधान में से, 1990-91 के लिए 90.00 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और इसमें से अब तक 28.34 लाख रुपए की राशि दी गयी है। इस योजना की इस बात के लिए समीक्षा की जा रही है कि क्या इस योजना को राज्य सरकारों को दे दिया जाए अथवा नहीं।

(3) आयोजना इंचार्ज प्रशिक्षण

भारत सरकार आयोजना स्टाफ को बहुस्तरीय आयोजना में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। योजना स्कीमों के अधीन, योजना आयोग की तरफ से राज्य स्तर तथा जिला स्तर के योजना कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियों/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद को सहायता अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 1989-90 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ इकानोमिक ग्रोथ, दिल्ली को विकास आयोजना तथा नीति संबंधी साढ़े चार मास का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 11.36 लाख रुपए की राशि जारी की गई। 1990-91 के लिए किये गये 13.00 लाख रुपए के बजट आवंटन में से, संस्थान को 8.00 लाख रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है और अंतिम किश्त का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के बाद के महीनों में किया जायेगा। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद वर्ष 1976-77 से बहुस्तरीय तथा विकेन्द्रित आयोजना में मध्यम अवधि के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। 1989-90 में कालेज को 8.00 लाख रुपए की राशि दी गई। 1990-91 के लिए बजट प्रावधान 8.00 लाख रुपए का था। 6.00 लाख रुपए की पहली किश्त दी जा चुकी है।

(4) डकैती-प्रवृत्त क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के डकैती-प्रवृत्त क्षेत्रों के सामने विशिष्ट समस्याएं हैं जो विकास प्रक्रिया

में बाधा डालती हैं। इन राज्यों में ऐसे क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए वर्ष 1985-86 में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम के विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

1. घाटी सुधार,
2. सड़क/पुल निर्माण, और
3. ग्रामीण विद्युतीकरण

इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक के अंतर्गत कार्यक्रम की विषय-वस्तु तथा वित्तीय पहलू नीचे दिए गए हैं :-

1. घाटी सुधार

घाटी सुधार कार्यक्रम में परिधीय, पुश्ताबंदी पठारी भूमि सुधार, मध्यम और गहरी घाटियों का वनरोपण और ऊपरी घाटियों में सुधार शामिल है। इस कार्यक्रम का नियंत्रण कृषि मंत्रालय के अधीन है। यह 100 फीसदी केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम है।

2. सड़क/पुल निर्माण

कार्यक्रम के अधीन सड़कों और पुलों का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है और इसका नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। ये केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना होने के कारण, इसकी वित्त व्यवस्था भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में की जाती है। 1990-91 के लिए 14.40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

3. ग्रामीण विद्युतीकरण

इस संबंध में राज्य योजनाओं के अंतर्गत प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण दस्यु ग्रस्त तीनों राज्यों— मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धन उपलब्ध कर रहा है।

(V) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी)

राजस्थान, गुजरात और पंजाब इन तीन राज्यों में सीमान्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। बाद में इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को भी शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में ऐसी सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक सुविधाएं जुटाना था जो सीमांत क्षेत्रों के साथ आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने में योगदान दें। वर्ष 1986-87 में ही कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के दौरान यह निश्चय किया गया कि इसे नया मोड़ दिया जाए जिससे मुख्यतः समस्त मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य बल ऊपर उल्लिखित राज्यों के सीमान्त क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का सृजन करना तथा उनका विस्तार करना है। वर्ष 1987-88 से यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में चल रहा है। इस कार्यक्रम के चार संघटक हैं, अर्थात् शिक्षा विभाग का कार्यक्रम, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गृह मंत्रालय फोटो पहचान पत्र और योजना आयोग का अनुसंधान अध्ययन सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के अर्न्तगत 1987-88 से जो विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनका लागत/व्यय निम्न प्रकार से है :

(करोड़ रुपये)

	कार्यक्रम	व्यय			प्रावधान	
		1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	शिक्षा विभाग	-	25.00	45.50	50.00	55.00
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना		15.00	21.00	26.00	28.80
3.	गृह मंत्रालय	40.00	1.10	शून्य	0.17	2.20
4.	अनुसंधान अध्ययन (योजनाआयोग)	-	0.11	0.12	0.08	0.20
		40.00	41.21	66.62	76.25	86.00

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.173 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके परिवेश से जोड़कर उनका सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। इसके साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी व्यवस्था को पुनर्जीवित करना, उसको बनाए रखना तथा उसका विकास करना है।

4.174 पंजाब और हरियाणा के कान्दी पर्वतीय क्षेत्र पर गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार कर उसे योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

4.175 अरावली पहाड़ियों-के विकास संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उसे योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

4.176 राष्ट्रीय विकास परिषद 11 अक्तूबर, 1990 को नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखा जाए।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

4.177 इस कार्यक्रम का महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा के चुने हुए 163 तालुकों में विस्तार किया गया। इन तालुकों में विशिष्ट स्कीमों में राज्य सरकार के प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है।

4.178 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रमों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य 1990-91 के दौरान किए गए वे नीचे दिए जा रहे हैं :-

(I) वर्ष 1990-91 के दौरान पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए 38.21 करोड़ रु. की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा राज्यों के पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के संबंध में प्रस्तावों की जांच की गई और

कुल आवंटन को अंतिम रूप दिया गया।

(II) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति की तिमाही समीक्षा की गई।

उत्तर पूर्वी परिषद

4.179 वार्षिक योजना 1990-91 की विभिन्न कार्यकारी दलों द्वारा जांच तथा विचार-विमर्श कर उसे अंतिम रूप दिया गया।

XXV. विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग तथा संचार एकक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र

4.180 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अध्याय का प्रारूप तैयार कर उस पर योजना आयोग की आंतरिक बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

4.181 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए योजना आयोग द्वारा आयोजित अनेक बैठकों के एक अंग के रूप में इस प्रभाग द्वारा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की बैठक बुलाई गई।

4.182 संबंधित मंत्रालयों की वार्षिक योजना (1991-92) तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अभिकरणों और विभागों के साथ जो बैठकें हुईं उनमें इस प्रभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

4.183 सचिवों की समिति के लिए तैयार किए गए अनेक मंत्रिमंडल दस्तावेजों, टिप्पणियों तथा ई एफ सी, मेमो की इस प्रभाग में जांच की गई।

दूर संचार एकक

4.184 दूर संचार विभाग के एक सार्वजनिक क्षेत्र एकक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड की एक कारपोरेट योजना पर विचार करने के लिए तत्कालीन सदस्य (विज्ञान) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

4.185 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दूर संचार संबंधी अध्याय का प्रारूप तैयार कर उस पर योजना आयोग की आंतरिक बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

4.186 आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति के लिए दूर संचार के संबंध में तैयार की गई अनेक टिप्पणियों की जांच की गई।

4.187 आठवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना (1991-92) तैयार करने के लिए प्रभाग ने दूर संचार मंत्रालय के साथ अनेक बैठकें कीं।

XXVI. उद्योग और खनिज प्रभाग

4.188 वर्ष 1989-90 के दौरान उद्योग से संबंधित अनेक क्षेत्रकों के कार्य की समीक्षा की गई। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए उपाध्यक्ष स्तर पर संबंधित राज्यों/केन्द्र राज्य क्षेत्रों

की योजनाओं पर मुख्य सचिव/उपराज्यपाल से विचार-विमर्श किया गया। वर्ष 1991-92 के कार्यक्रम पर विचार करते समय पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण कर रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रकों के बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया। जहां तक सम्भव हो सका इलैक्ट्रानिक जैसे नए उदीयमान उद्योगों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया।

4.189 वार्षिक योजना कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करते समय चालू वर्ष के पहले नौ महीनों की उपलब्धि तथा बाकी तीन महीनों की संभाविव उपलब्धि पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

4.190 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण दस्तावेजों में जो मार्गदर्शक सिद्धांत बताएं गए हैं उनके आधार पर उद्योग और खनिज क्षेत्रक कार्यक्रमों पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय क्षेत्रक तथा राज्य क्षेत्रकों के लिए भी परिव्ययों को अस्थायी देय से निश्चित किया गया।

4.191 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जो कार्यकारी दल गठित किए गए थे उनमें से अधिकांश ने अपनी रिपोर्ट दे दी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अध्याय का प्रारूप तैयार करते समय इनकी सिफारिशों की जांच कर उन पर विचार किया गया।

4.192 नई औद्योगिक नीति की विस्तार से जांच की गई और योजना आयोग के विचारों से उद्योग मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल को सूचित कर दिया गया।

4.193 औद्योगिक विकास प्रभाग "तकनालॉजी विकास निधि" तथा "तकनालॉजी सूचना केन्द्र" गठित करने पर विचार कर रहा है। "नागपुर की पेटेन्ट सूचना प्रणालियों" का आधुनिकीकरण करने का भी प्रस्ताव है। इस प्रभाग ने इन सभी प्रस्तावों की जांच क़र उन पर अपने विचारों से अवगत कर दिया है।

4.194 इस प्रभाग ने मालभाड़ा बराबर करने कि स्कीम पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की। यह कार्य पूर्वी राज्यों की फिर से उठाई गई इस मांग पर किया गया कि इस स्कीम को शीघ्र समाप्त कर दिया जाए या उनमें संशोधन किया जाए।

4.195 विभिन्न राज्यों के चुने हुए स्थानों पर 70 विकास केन्द्र विकसित करने की परियोजना को आठवीं योजना में शामिल करने का निर्णय किया गया। पचास स्थान पहले ही निश्चित किए जा चुके हैं और उनके बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने एक परियोजना मूल्यांकन समिति बनाई है। इस प्रभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

4.196 लम्बी अवधि के लिए भारत में लोहा और इस्पात की मांग तथा उसकी पूर्ति की कार्यनीति का विश्लेषण करने के लिए योजना आयोग ने एक गहन अध्ययन कराया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफैसर आर पी सेनगुप्ता ने यह अध्ययन किया। दीर्घ कालीन अनुमान तथा नीति संबंधी निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए उन्होंने उन्नत परिमाणात्मक तकनीकों तथा माडलों का उपयोग किया। अध्ययन से विदित हुआ कि तकनीक, कार्य के आकार उपलब्ध ऊर्जा संसाधन का उपयोग तथा संयंत्रों की स्थिति के अनुसार विभिन्न तरीकों से इस्पात बनाने के अनेक तरीके हैं। अध्ययन से यह भी विदित हुआ कि एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा वैकल्पिक तकनीकों वाले इस्पात से संयंत्रों में निवेशों की अनेक उत्पादकता संबंधी जटिलताएं हैं।

4.197 प्रोफेसर सेन गुप्ता ने पेट्रो रसायन उत्पादों की दीर्घकालिक मांग और उपलब्धि की समीक्षा करने के लिए भी गहन अध्ययन किया। रिपोर्ट जून, 1990 में प्रस्तुत की गई थी। आठवीं योजना के दौरान क्षमता के अनुसार आयोजन करने में भी इस अध्ययन से सहायता मिली।

4.198 योजना आयोग के सलाहकार (आई एफ एम) के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय दल ने पंजाब तथा औद्योगिक एवं शहरी परिसर गोइण्डवाल केन्द्र की यात्रा की। दल ने विकास संबंधी मामलों की जांच की और उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक परिसर गोइण्डवाल केन्द्र के विकास के लिए कई सिफारिशें की।

4.199 योजना आयोग के सलाहकार (आई एफ एम) को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन पर्यावरण मूल्यांकन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। इस समिति को पर्यावरण की दृष्टि से औद्योगिक तथा खनिज पर आधारित परियोजनाओं की जांच का काम सौंपा गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उन्होंने उद्योगों से संबंधित पर्यावरण मूल्यांकन समिति की बैठकों में भाग लिया और औद्योगिक परियोजनाओं पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की।

XXVII. ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

4.200 आठवीं योजना तथा वार्षिक योजना 1991-92 में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित तथा विकसित करने से संबंधित प्रस्तावों पर कपड़ा मंत्रालय तथा लघु उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग से विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कार्यकारी दलों की बैठकें की गई इनमें आठवीं योजना तथा वार्षिक योजना 1991-92 में ग्रामोद्योग क्षेत्र के संबंध में विचार किया गया।

4.201 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के प्रस्तावों को तैयार करने से संबंधित सामाजिक-आर्थिक दलों की बैठकों में भाग लेने के लिए लघु उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा, पावरलूम, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन तथा नारियल जटा के प्रसिद्ध विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।आठवीं योजना के ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों से संबंधित अध्याय का प्रारूप इस प्रभाग में तैयार किया गया।

4.202 लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग से प्रस्तावों की जांच की गई इनमें डेनिस सहायता से भुवनेश्वर तथा जमशेदपुर में औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, जर्मन गणराज्य की सहायता से औरंगाबाद, अहमदाबाद और इन्दौर में औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की सहायता से जालंधर में रबड़ के उत्पादों के लिए अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना, दिल्ली में उच्च तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए विनियोजन सहायता की नई केन्द्रीय स्कीम शुरू करना, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व रोजगार की केन्द्रीय स्कीम में संशोधन, लघु उद्योगों आदि के लिए व्यापक कानून बनाना शामिल है। हस्तशिल्प उप-क्षेत्रक में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय स्कीमों की पुर्नसंरचना की गई।

4.203 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर इस प्रभाग में विचार किया गयाः

(1) आठवीं योजना में लघु योजना क्षेत्र के लिए नीति,

(2) हथकरघा उत्पादों को कारगर संरक्षण प्रदान करना,

(3) संस्थागत वित्त के माध्यम से आठवीं योजना के दौरान ग्रामोद्योग क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करना,

(4) उत्तर पूर्वी हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम को पुनः चुस्त बनाना,

(5) हाट-व्यवस्था के विशेष संदर्भ में उत्तर पूर्व में हथकरघा उद्योग का विकास,

(6) जनता कपड़ा उत्पादन की स्कीम को गैर-योजना से योजना बजट में पुनः शामिल करना,

(7) हथकरघा उद्योग के संबंध में आठवीं योजना के विकास कार्यक्रमों की पुनः संरचना करना,

(8) ग्रामोद्योग क्षेत्र में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का विश्लेषण, और

(9) ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उत्पादित हाथ से काते सूत की हथकरघा उपक्षेत्रक में उपयोग की संभावना।

4.204 योजना आयोग के सलाहकार (ग्रामोद्योग) की अध्यक्षता में नारियल जटा उद्योग संबंधी एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय सुझाए गये हैं।

XXVIII. परिवहन प्रभाग

4.205 परिवहन प्रभाग का काम यह है कि अर्थव्यवस्था पर कम से कम दबाव पड़े। परिवहन की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए परिवहन क्षेत्र का विकास किया जा सके। परिवहन प्रभाग का काम इस संबंध में योजना बनाना है। इसमें जो काम शामिल हैं वे हैं— (i) यात्री और माल दोनों के आवागमन के लिए परिवहन की समस्त मांग का विश्लेषण करना, (ii) विभिन्न प्रकार के परिवहनों की वर्तमान क्षमता का विश्लेषण, (iii) तुलनात्मक लागत और संचालन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए समुचित मिश्रित अंतःमाडल का निश्चय करना, (iv) अतिरिक्त क्षमता आवश्यकताओं का अनुमान, (v) क्षमता को सुनियोजित रूप से बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता का विश्लेषण और (vi) विभिन्न परिवहन उप-क्षेत्रकों में परियोजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन।

4.206 इस प्रभाग को पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत दीर्घावधि और मध्यम अवधि योजनाएं तैयार करने का काम भी सौंपा गया है। पर्यटन देश के समस्त आर्थिक विकास में योगदान तो करता ही है, इसके अलावा यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक प्रमुख साधन भी है, अतः आर्थिक विकास की स्कीम में पर्यटन के लिए अपेक्षित बुनियादी आधार का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। परिवहन क्षेत्र की भांति यह विभाग देश में वर्तमान पर्यटन की सुविधाओं की जांच करता है, अतिरिक्त आवश्यकता का विश्लेषण करता है, अधिक सुविधाओं के प्रस्तावों की जांच करता है और पर्यटन विभाग से सलाह मशवरा कर पर्यटन संबंधी योजनाएं बनाने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करता है।

4.207 भूतल मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालयों द्वारा विभिन्न उप-क्षेत्रकों के लिए तैयार किए गए निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है, यह विभिन्न परियोजनाओं तथा स्कीमों का पुनः मूल्यांकन करने के साथ-साथ कार्यान्वयन का निरन्तर प्रबोधन भी करता रहता है। यह परिवहन योजनाएं तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी तय करता है तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य प्राधिकरणों जैसे पत्तन, एयरलाइन्स इत्यादि के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह आयोजन के लिए अपेक्षित अनुसंधान अध्ययनों का आयोजन भी करता है। विभिन्न प्रकार के परिवहनों को तकनीकी दृष्टि से उन्नत करने के लिए यह प्रभाग कार्रवाई भी आरंभ करता है।

वार्षिक योजनाएं :

4.208 वार्षिक योजना 1991-92 तैयार करने में इस प्रभाग ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना 1991-92 के लिए उनके प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया। इस प्रभाग ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के साथ वर्ष 1990-91 में उनके भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया और वर्ष 1991-92 के प्रस्तावों की जांच की जिससे उनके आंतरिक वित्तीय संसाधनों की सही हालत मालूम हो सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

4.209 परिवहन और पर्यटन के विभिन्न उप-क्षेत्रकों के कार्यकारी दलों की रिपोर्टों के साथ इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त योजना प्रस्तावों की भी आठवीं योजना तैयार करने में जांच की गई। इन प्रस्तावों पर मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया, परिवहन और पर्यटन क्षेत्रक के संबंध में आठवीं योजना तैयार करने में इन प्रस्तावों तथा विचार-विमर्श से आवश्यक सामग्री प्राप्त हो गई।

अनुसंधान तथा अध्ययन

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की उत्पादकता की समीक्षा

4.210 यह राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संचालन की गहन समीक्षा है, इसका उद्देश्य उनकी भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए उपाय सुझाना है।

पत्तन और नौवहन क्षेत्रक का अध्ययन

4.211 एशियाई विकास बैंक की सहायता से पत्तन और नौवहन क्षेत्रक का अध्ययन किया गया। अध्ययन पूरा होकर उसकी रिपोर्ट भी मिल गई है। इसका उपयोग आठवीं योजना तैयार करने में किया गया।

4.212 भारतीय रेलों उच्च शक्ति वाले इंजिनों के उपयोग का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4.213 "मुख्य जिन्सों-सीमेंट, अनाज और उर्वरक के आधुनिक तरीके से ढुलाई" के अध्ययन का कार्य मैसर्स राइटस को सौंपा गया। इसकी रिपोर्ट का प्रारूप प्राप्त हो गया है।

4.214 उद्पी और रोड़ा के बीच की दूरी पर पश्चिमी घाट कोंकण रेल लाइन बनाने की स्वीकृति दी गईं। चालू वर्ष के दौरान सोनागर-पटरातु सैक्सन का बिजलीकरण का कार्य शुरू करने की सिफारिश की गई।

XXIX. राज्य योजना प्रभाग

वार्षिक योजना 1989-90

4.215 मूलतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए 22343.90 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया था। परंतु अनेक राज्यों में संसाधन जुटाने में कठिनाई होने के कारण इसे परिशोधित कर 20495.80 करोड़ रुपए कर दिया गया।

वार्षिक योजना 1990-91

4.216 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए मूलतः 24532.54 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी परिषद की योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया था। पर्वतीय क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, सीमांत क्षेत्र के विकास कार्यक्रम और अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध की गई थी।

4.217 प्राथमिक क्षेत्रको में निवेश सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, ग्रामीण विकास और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अंतर्गत परिव्यय निर्दिष्ट किए गए हैं। निर्दिष्ट क्षेत्रकों के अंतर्गत व्यय की प्रगति पर केन्द्रीय सहायता संबद्ध की गई है।

4.218 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण सड़के, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण घरेलू खाना बनाने की ऊर्जा, ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का पौधरोपण, सुधरे चूल्हे लगाना, ग्रामीण आवास, गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार, पोषाहार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 2631 करोड़ रुपए से कुछ अधिक परिव्यय आवंटित किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश परिव्यय ग्रामीण जलपूर्ति तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए था।

4.219 संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार की है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए विशेष वर्ग का राज्य माना जाता है क्योंकि इनके संसाधन का आधार बहुत कमजोर है। इन सभी विशेष वर्ग के राज्यों में केन्द्रीय सहायता की राशि वार्षिक योजना 1990-91 के स्वीकृत परिव्यय के लगभग 82 प्रतिशत है।

वार्षिक योजना 1991-92

4.220 आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के संदर्भ में वार्षिक योजना 1991-92 के लिए प्रस्ताव तैयार करने के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किए गए। अन्य बातों के अलावा इन मार्गदर्शकों में उपलब्ध सुविधाओं तथा पूर्ण कार्यक्रमों/परियोजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना, अति आवश्यक चालू कार्यक्रमों/परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, अधिकतम ग्रामीण तत्व जुटाना, कमजोर वर्ग के चहुंमुखी विकास पर ध्यान देना, सेवाओं को गतिशील बनाना, विकेन्द्रीकरण समेकित क्षेत्र आयोजन अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने तथा पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया गया है।

अनुसंधान अध्ययन

4. 221 बिहार में छठी योजना के कार्यान्वयन का गहन अध्ययन करने का काम नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को सौंपा गया। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

XXX. पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र

4.222 योजना आयोग पुस्तकालय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र स्टाफ सहित योजना आयोग के समस्त स्टाफ को संदर्भ सेवा तथा पुस्तकालय की सभी सुविधाएं देता रहा। यह भारत सरकार के लगभग सभी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के पुस्तकालयों के साथ अंतर पुस्तकालय आदान-प्रदान भी करता

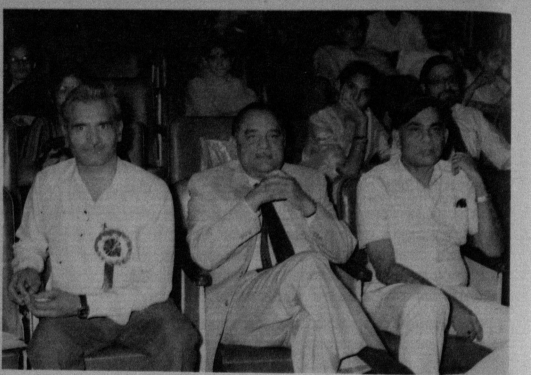

योजना आयोग क्लब का पुरस्कार वितरण समारोह 25-3-91

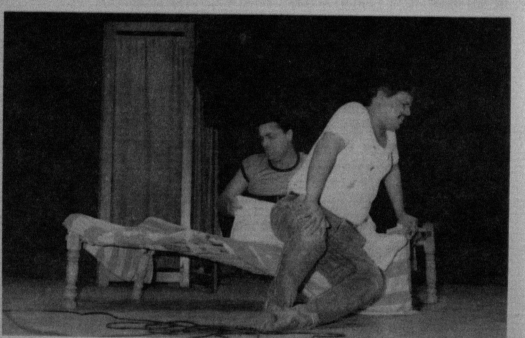

योजना आयोग क्लब द्वारा अभिनीत नाटक का दृश्य (25-03-91)

रहा है। शोधकर्ताओं, विद्वानों तथा अन्य विभागों/संस्थानों के अधिकारियों को परामर्श सुविधाएं और संदर्भ सेवाएं उपलब्ध कराता रहा।

4.223 पुस्तकालय कम्प्यूटरीकृत परिचालन तथा प्रलेखन का कार्य भी करता रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने अपने अधिग्रहण तथा कार्यक्रम का कम्प्यूटरीकरण कर दिया। तदनुसार, कम्प्यूटर की सहायता से परिचालन, प्रलेखन, अधिग्रहण तथा सूची बनाने के काम में आसानी हो गई।

4.224 पुस्तकालय अपना प्रकाशन अर्थात् (i) पुस्तकालय में प्राप्त चुनिंदा पत्रिकाओं से लिए गए लेखों की एक पाक्षिक सूची **"डाकप्लान"** निकाल रहा है, (ii) नई पुस्तकों की पाक्षिक सूची भी निकाल रहा है, (iii) **डिवीजनल डाकुमेंट्स लिस्ट** योजना आयोग की ओर से तैयार की गई तिमाही सूची पुस्तकालय में प्राप्त हो रही है, (iv) **आवधिक पत्रिकाओं की वार्षिक सूची**: यह आवधिक पत्रिकाओं की सूची है और योजना आयोग पुस्तकालय में प्राप्त हो रही है।

4.225 अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान 1311 अंग्रेजी तथा 146 हिन्दी की पुस्तकें/प्रकाशन खरीदे गए। आशा है कि मार्च 1991 के अंत तक 800 और अंग्रेजी की पुस्तकें तथा 300 हिन्दी पुस्तकें पुस्तकालय में आ जाएगी। इसके अलावा, 400 आवधिक पत्रिकाएं भी पुस्तकालय में प्राप्त हुईं।

4.226 राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय के दिनांक 19-6-74 के परिपत्र संख्या 11020/21/73-रा.भा. के अनुसार इस पुस्तकालय ने लगभग 29 प्रतिशत खर्च हिन्दी की पुस्तकों की खरीद तथा 71 प्रतिशत अंग्रेजी पुस्तकों की खरीद पर किया। 12 सितम्बर से 14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी पुस्तकों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

XXXI. हिन्दी अनुभाग

4.227 राजभाषा नीति के अनुसार योजना आयोग में हिन्दी के उपयोग की समय-समय पर निरन्तर समीक्षा होती रहती है और हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग के लिए कार्रवाई की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें तथा योजना आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें हुईं। इनमें हिन्दी के उपयोग की समीक्षा की गई तथा उपयोग बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया।

4.228 विभिन्न प्रभागों को अपने काम में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए चल वैजन्ती (शील्ड) स्कीम शुरू की गई। वर्ष 1989-90 की वैजन्ती प्रशासन—5 अनुभाग द्वारा प्राप्त की गई।

4.229 योजना आयोग में मूलतः हिन्दी में काम करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई। स्कीम के अंतर्गत संदर्भित तिमाही के किसी भी महीने अधिकतम काम हिन्दी में करने के लिए प्रत्येक तिमाही में पुरस्कार देने की व्यवस्था है।

4.230 योजना आयोग में 3-9-1990 से 14-9-1990 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर अपना अधिक से अधिक दैनिक काम हिन्दी में करने के लिए योजना राज्यमंत्री की ओर से एक अपील जारी की गई इसके अलावा, स्टाफ को राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी देने के लिए एक दस्तावेज भी प्रचारित किया गया. इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी टाईपिंग, हिन्दी आशुलिपि की प्रतियोगिताएं की गईं तथा हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई. यंत्रों

की सहायता से हिन्दी के प्रयोग को भी दिखाया गया. पखवाड़े के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह भी किया गया।

4.231 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) तैयार करने के संदर्भ में राजभाषा पर गठित सिफारिश करने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन भी किया गया ताकि केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए एक विस्तृत स्कीम तैयार की जा सके।

XXXII. योजना आयोग क्लब

4.232 योजना आयोग स्टाफ के मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों में प्रोत्साहित करने तथा समन्वय करने के लिए योजना आयोग क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आरंभ से ही क्लब ने सदस्यों की प्रतिभा के अनुकूल उसके विकास के लिए सुविधा प्रदान कर अनेक उच्च कोटि के प्रतिभावान कलाकारों तथा खिलाड़ियों को उभारा है।

4.233 वर्ष 1990-91 के दौरान अनेक मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे पूरा छोटा नाटक खेलना, फिल्म दिखाना, "हिन्दी दिवस" पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।

4.234 योजना आयोग के खिलाड़ियों ने अनेक अन्तःमंत्रालय टूर्नामेंटों जैसे ऐथलेटिक्स, टेबल-टेनिस, क्रिकेट, कैरम और कबड्डी आदि में भाग लिया। खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया तथा योजना आयोग के लिए प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। क्लब ने फरवरी-मार्च, 1991 में विभिन्न विधाओं में आंतरिक टूर्नामेंटों का आयोजन भी किया।

4.235 क्लब ने 25 मार्च को मावलंकर हाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। श्री असीम चटर्जी, सलाहकार (प्रशासन) योजना आयोग ने पुरस्कार प्रदान किए।

अध्याय–5

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

योजना निष्पादन, योजना प्रशासन तथा योजना मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तीनों कार्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकीकृत हैं तथा अन्तःनिर्मित हैं। मूल्यांकन परिव्ययों से जो सूचना उपलब्ध की जाती है वह निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश उपलब्ध कराती है, उद्देश्यों की वास्तविक कार्य संचालन से तुलना करती है और भावी कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। राज्य एवं प्रशासित तथा उद्देश्यपूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिये क्रमबद्ध पुनर्निवेशन के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन योजना प्रक्रिया में निरन्तर पुनर्निवेश उपलब्ध करने का काम कर रहा है।

5.2 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का मुख्य कार्य मूल्यांकन अध्ययन करना है, जिनमें (i) निर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना कार्यक्रमों की उपलब्धियों का विश्लेषण करना, (ii) लाभानुभोगियों पर उनके प्रभाव का आकलन, (iii) जन समुदाय को सामाजिक आर्थिक संरचना पर प्रभाव, (iv) प्रशासनिक संरचना तथा अपनाई गई प्रक्रिया समुचितता का मूल्यांकन, (v) लक्षित वर्गों को सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है। इसके अलावा, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन अन्य दो महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहा है, जैसे (क) राज्य मूल्यांकन संगठनों को तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन देना तथा (ख) राज्य मूल्यांकन कार्मिकों को प्रशिक्षण देना। फिलहाल यह काम बहुत सीमित स्तर पर हो रहा है।

वर्ष 1990-91 में किए गए मूल्यांकन अध्ययन

5.3 इस दौरान 9 मूल्यांकन अध्ययनों पर काम शुरू हुआ इनमें से 6 पूर्ण होने के समीप पहुंच चुके हैं। बाकी 3 अध्ययनों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इन अध्ययनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. परती भूमि कृषि कार्यक्रम (पूरा हो गया है),
2. राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण स्कीम (पूरा हो गया है)
3. ग्रामीण व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम (अंतिम रूप दिया जा रहा है)
4. मरुस्थल विकास कार्यक्रम (अंतिम रूप दिया जा रहा है),
5. नेहरू युवा केन्द्र स्कीम (अंतिम रूप दिया जा रहा है),
6. जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम (प्रारूप तैयार किया जा रहा है),
7. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (अध्ययन शुरू करने के लिए प्रारंभिक) कार्रवाई की जा रही है,
8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम (शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है), और

9. मत्स्य उद्यम वाली जोतें और परंपरागत मत्स्य पालकों पर उनका प्रभाव (शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है।)

अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए मूल्यांकन पर सामग्री तैयार की गई।

(2) मूल्यांकन अध्ययन, मूल्यांकन के तरीके तथा तकनीकों में प्रशिक्षण और राज्य मूल्यांकन संगठनों/अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय।

मूल्यांकन संगोष्ठी

5.4 रजत जयंती समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मूल्यांकन संगठन ने "विकास कार्यक्रमों" में मूल्यांकन की भूमिका और संभावनाएं पर दो दिन की गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

मूल्यांकन कार्मिकों का प्रशिक्षण

5.5 नेहरू युवा केन्द्र स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन के लिए जो डिजाइन तैयार किए गए तथा कार्यप्रणाली अपनाई गई उससे क्षेत्रीय कार्मिकों को अवगत करने के लिए मुख्यालय में दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अध्याय–6

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, अपने उपग्रह आधारित कम्प्यूटर संचार नेटवर्क "निकनेट" के जरिए 60 केन्द्रीय सरकार के विभागों, 32 राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा 450 जिला प्रशासनों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी), प्रबंधन सहायता प्रणाली (एस एस एस) के लिए उपकरण, डाटाबेस (डी बी) का विकास, माडल बेसिस (एस बी) तथा नालिज बेस (के बी), निर्णय सहायक प्रणालियों (डी एस एस), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस एन आई सी), फाइललैस कार्यालय संकल्पना, इलेक्ट्रानिक डाक सेवाओं (निकमेल). तथा सुदूर-सूचना-विज्ञान सेवाएं, आरम्भ करने के लिए योजना आयोग के अधीन भारत सरकार का नोडल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है।

6.2 निकनेट महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक उत्पादों का प्रबोधन, (ii) आंकड़ों का अद्यतन सुधार (iii) बहुमूल्य कम्प्यूटर संसाधनों का इष्टतम उपयोग (iv) आपातकालीन संचार प्रणालियों, (v) नवीनतम साफ्टवेयर उपकरणों में भागीदारी (vi) सूचना का प्रसार और (vii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा जिलों के बीच संदेशों तथा सूचना का आदान-प्रदान।

6.3 निकनेट वर्ष 1990 के आरम्भ में इन्टलसेट-v उपग्रह पर कार्य कर रहा था। अब इसने ट्रांस्पोडर नं 6 पर भारतीय उपग्रह इन्सेट-1 डी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इस परिवर्तन में समूचे देश में पुनः सभी एन्टीना का रिआरिएन्टेशन, पोलराइजर का परिवर्तन, तथा वैकअप फ्रीक्वेन्सी अन्तर्ग्रस्त है। निकनेट को नई प्रचलन प्रणाली से उन्नत किया गया था, जिसमें अनेक सुविधाएं शामिल हैं जैसे एक्स ई एक्स साफ्टवेयर कार्यचालन में और अधिक लचीलापन और इसके नेटवर्क में मानिटरिंग की सुविधा होती है।

6.4 दिल्ली में स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क (पी एस टी एन) का प्रयोग करते हुए लीज्ड टेलीफोन लाइन अथवा डायल अप लाइनों के माध्यम से निकनेट के साथ एकीकृत किया गया था। दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों में कार्यालय स्वचलन और स्थानीय सूचनाओं को नेटवर्क गेटवे के साथ शेयर करते हुए स्थानीय एरिया नेटवर्क्स स्थापना का कार्य शुरू किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के क्षेत्रीय केन्द्रों (पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद) तथा राज्य केन्द्रों (बेंगलूर बम्बई, भोपाल और थिरूवनन्थापुरम) में स्थलीय नेटवर्क को भी कार्यान्वित किया गया। विकास कार्यकलाप शुरू किए गए जैसेः (I) यूनिक्स प्रचलन प्रणाली के साथ निकनेट में एकरूपता लाना तथा (II) साफ्टवेयर की चोरी को रोकने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साफ्टवेयर पैकजों के लिए सुरक्षा लाने हेतु हार्डवेयर डिजाइन तैयार करना।

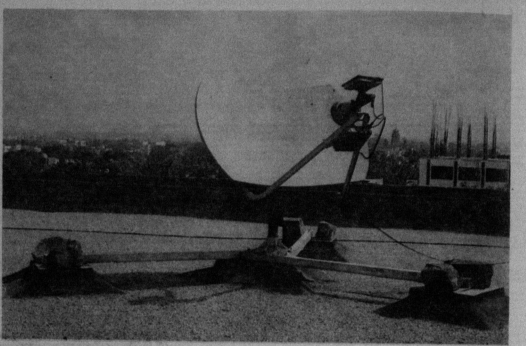

माइक्रो अर्थ स्टेशन

मदर अर्थ स्टेशन

6.5 वर्ष के दौरान सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों और जिलों को निकनेट सुविधाएं प्रदान की गयी थीं। 14 राज्य केन्द्रों के लिए अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रणाली अपनायी गयी और उनमें से कुछ प्रणालियों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। कम्प्यूटरों के संचालन के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति करने के लिए जिला कंप्यूटर केन्द्रों पर वैकल्पिक विद्युत स्रोतों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं को भारतीय भाषाओं में सूचना प्रसंस्करण के लिए द्विभाषी टर्मिनल और जिस्ट कार्ड भी दिए जा रहे हैं।

6.6 निचले स्तर की विकास आयोजना और प्रशासन को सुविधा प्रदान करने के लिए समूचे देश में लगभग 5300 ब्लाकों/तहसीलों को शामिल करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के दौरान निकनेट में वृद्धि का प्रस्ताव है।

(क) केन्द्रीय सरकार सूचना-विज्ञान केन्द्र

6.7 सरकारी सूचना-विज्ञान विकास कार्यक्रम को समन्वित करने तथा क्रियान्वित करने के क्रम में एन आई सी राज्य समन्वय समिति (एन एस सी सी), एन आई सी जिला समन्वय (एन डी सी सी) तथा एन आई सी मंत्रालय समन्वय समिति (एन एन सी सी) का गठन किया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के यहां सूचना प्रणाली की आयोजना तथा कार्यान्वयन संबंधी अन्तर-विभागीय समन्वय की एन आई सी संचालन समितियों ने विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में सूचना प्रणाली के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए सहयोग लेना जारी रखा। योजना आयोग ने जनवरी, 1991 में अनुसंधान परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन किया जिसके विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार थे:— मंत्रालय तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सहित) की सूचना तथा डाटा प्रणालियों के समन्वय एवं आयोजना और नीति प्रयोजनों के लिए उनके डाटाबेसों का उपयोग करना।

6.8 1990-91 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रणालियों का विकास केन्द्रीय सरकारी विभागों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है:—

(क) योजना आयोग : निकनेट की सहायता से डाटा बेस का विकास तथा कारगर बनाना।

(ख) स्वास्थ्य : स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली का विकास

(ग) उद्योग : एकीकृत उद्योग डाटाबेस का विकास।

(घ) वित्त : बजट प्रोसैसिंग के लिए प्रणालियों का विकास।

(ङ) वित्तीय संसाधन : प्रत्यक्ष करों पर एम आई एस, आयकर निपटान के लिए केन्द्रीय उत्पाद सांख्यकीय सूचना तथा अनुप्रयुक्त रिकार्ड प्रणाली।

(च) बैंकिंग : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रोफाइल पर डाटाबेस वाणिज्य, बीमा, उर्वरकों ग्रामीण विकास, श्रम, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा पर्यावरण और वानिकी, सिंचाई, कृषि, विदेशी मामलों, पर्यटन सूचना तथा प्रसारण, कपड़ा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास तथा विधि एवं न्याय आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सूचना-विज्ञान प्रणालियां विकसित की गयी।

(ख) माडलिंग ग्राफिक तथा डिजाइन कार्यक्रम

6.9 डिजाइन सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में यह कार्यक्रम विभिन्न सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायता प्रदान करता है जिसमें डिजाइन उत्पादकता में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास तथा दक्ष

सहायता भी शामिल है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने एच ई सी रांची में एक केन्द्र (सी ए डी) की स्थापना का करार भी किया।

(ग) जिस्टनिक सार्वजनिक सूचना विज्ञान कार्यक्रम

6.10 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संरचना/सेवा कार्यकलापों, देश की रूपरेखा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक डाटा, इत्यादि पर निकनेट के जरिए सरकारी विभागों तथा सामान्य जनता को जानकारी प्रदान करना है। भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय के प्रबन्ध से भुवनेश्वर में एन ई सी एस-1000 कम्प्यूटर पर 1981 की जनगणना सूचना तैयार की गयी तथा इसे जिस्टनिक बूथ के जरिये उपलब्ध कराया जा रहा है।

(घ) विश्लेषण तथा माडलिंग प्रभाग

6.11 प्रभाग ने उर्वरकों, तेल, पेट्रोलियम तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों के लिए आयोजना और निर्णय समर्थन प्रणाली हेतु कम्प्यूटर आधारित माडल बेसिस विकसित किए।

(ङ) सुदूर-सूचना-प्रणाली तथा प्रोन्नत कार्यक्रम

6.12 यह कार्यक्रम, जनहित संबंधी सूचनाओं के संकलन प्रसरण तथा प्रदर्शन हेतु तकनीकों के व्यवहारिक प्रयोग के जरिए विकास तथा प्रदर्शन के लिए यू एन डी पी की सहायता प्राप्त परियोजना है। इसे दूरदर्शन के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(च) सरकारी सूचना प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.13 एन आई सी मुख्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, राज्य तथा जिला केन्द्रों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। एन आई सी मुख्यालयों में प्रत्येक भागीदार के लिए व्यवहारिक अभ्यास हेतु कम्प्यूटर सुविधाओं के साथ एक ही समय में पांच पाठ्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की गयी इस वर्ष के दौरान लगभग 140 पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम बनाया गया तथा 9500 से अधिक भागीदारों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम ने भाग लिया।

(छ) निकनेट आधारित परियोजना प्रबोधन कार्यक्रम

6.14 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों सहित परियोजना मानीटरिंग समितियों को विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु सक्षम बनाने के लिए उन्हें परियोजना मानीटरिंग सुविधाएं मुहैय्या कराना है।

(ज) जिला स्तर पर सरकारी सूचना प्रणाली विकास कार्यक्रम (डिसनिक)

6.15 यह कार्यक्रम पूरे देश के लगभग 440 जिलों में जहां निकनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं, चल रहा है। विभिन्न क्षेत्रकों पर "डिसनिक सूचना विकास रिपोर्टें कार्यान्वयन के दौरान विश्लेषण तथा संवृद्धि हेतु तथा डाटाबेस/सूचना प्रणाली के विकास हेतु पूरे देश में एकरूपता लाने के लिए प्रकाशित की गयी हैं। नये निर्माणकर्ताओं को जोड़ने के संबंध में फीडबैक प्राप्त कर लेने के उपरांत इन मानकीकृत डाटाबेसों को मानकीकरण के वार्षिक चक्र में लाया जाएगा।

6.16 योजना आयोग निचले स्तर पर विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए कम्प्यूटर आधारित उपकरण की सहायता से जिला स्तरीय प्रशासन को लैस करने के लिए "भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिसनिक)" का विकास, जिसका लक्ष्य जिले में उपलब्ध निकनेट सुविधाओं के उपयोग से स्थानिक आंकड़ों का एकीकरण करना है, शुरू किया गया था।

(1) राज्य सरकार सूचना विज्ञान विकास कार्यक्रम

6.17 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने कंप्यूटर आधारित राज्य/जिला स्तरीय सरकारी सूचना विज्ञान केन्द्रों के विकास के लिए सभी (25) राज्यों तथा (7) संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य की राजधानियों में स्थापित निकनेट सुविधाओं तथा लगभग 450 जिला मुख्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन जिलों में दुर्गम पर्वतीय प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर में लद्दाख और कवरत्ति, मिनीकाय. द्विपसमूह, पोर्ट ब्लेयर तथा कार निकोबार जैसे दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हैं।

6.18 इस कार्यक्रम में अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की आन लाइन मानिटरिंग तथा नियमित आधार पर सामाजिक विकास और प्रशासन तथा विकास आयोजना हेतु डाटाबेस विकास हेतु के निकनेट सुविधाओं के उपयोग में राज्य सरकार विभागों को सक्षम बनाया है।

(ञ) "जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर माइक्रो-स्तरीय आयोजना हेतु सूचना संकलन के लिए डिसनिक प्रोफार्मा"

6.19 ये प्रपत्र सूचना अन्तराल विषय पर योजना आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल समिति की सिफारिशों के आधार पर अभिकल्पित तथा मुद्रित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान विकेन्द्रीकृत आयोजना सूचना प्रणाली के विकास के लिए सूचना संकलन प्रक्रिया में गुजरात को छोड़कर सभी राज्य सरकारें शामिल थीं।

अध्याय–7

अनुदान सहायता

वर्ष 1990-91 के दौरान सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एकक द्वारा योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों के लिए दिसम्बर, 1990 के अंत तक 39.94 लाख रुपये की राशि अनुदान सहायता के रूप में दी गई। इसमें से 8.96 लाख रुपये तीन संस्थानों अर्थात् (I) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली (II) अर्थशास्त्र विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई तथा (III) गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पालिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे को ब्लॉक अनुदान पद्धति के अंतर्गत दिए गए। 25 लाख रुपए का एक तदर्थ अनुदान एस एम जोशी, सोशलिस्ट फाउंडेशन, पुणे को भी दिया गया।

7.2 चालू तथा नये अध्ययनों को शुरू करने, संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि को आयोजित करने तथा अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा तथा अनुमोदित विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को परियोजना पद्धति के अंतर्गत 5.98 लाख रुपयों को राशि दी गई।

7.3 अनुसंधान अध्ययनों तथा अनुसंधान सलाहकार समिति के निर्देशन में योजना आयोग द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों को दर्शाते हुए एक सूची तथा उन संस्थाओं के नाम जिन्हें अनुदान जारी किए गए थे अनुबंध-1 में दिए गए है।

7.4 वर्ष के दौरान पूरे किए अध्ययनों की सूची अनुबंध-2 में दी गई है।

अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नाम जिन्हें 1990-91 (दिसम्बर, 1990 तक) के दौरान अनुदान सहायता दी गई

क्रम सं	विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राशि (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	**आयोजना और विकास के संबंध, अनुसंधान केन्द्रों को ब्लॉक अनुदान**		
1.	इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली		4,15,900
2.	अर्थशास्त्र विभाग बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई		2,80,000
3.	गोखले आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थान, पुणे		2,00,000
4.	एस एम जोशी, सोशलिस्ट फाउंडेशन, पुणे		25,00,000
(ख)	**सेमीनार/सम्मेलन**		
1.	नीतिगत सभी मुद्दों के लिए कार्य के अवसर, कार्यनीति एवं कार्यक्रम पर अनुसंधान सेमीनार	भारतीय सामाजिक विज्ञान संगठन, संस्थान, नई दिल्ली	31,500
2.	"वैकल्पिक विकास कार्यनीति" पर कार्यशाला	एम ए सिंगामा, श्रीनिवासन फांउडेशन बंगलौर।	1,000
3.	स्वर्ण जयंती सम्मेलन	भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समिति, बम्बई	5,000
4.	ग्रामीण विकास की तकनीकी डिलीवरी व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला	राष्ट्रीय बंजर भूमि और ग्रामीण विकास संस्थान, नई दिल्ली	3,000
5.	"राष्ट्रीय आर्थिक एकता को बढ़ावा देने में विकास, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय की भूमिका पर तीन दिन का सम्मेलन	जाकिर हुसैन शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक फाउंडेशन, नई दिल्ली	2,500
6.	72वाँ वार्षिक सम्मेलन, 30 दिसम्बर, 1989-जनवरी, 1990	दि इंडियन, इकोनोमिक एसोसिएशन, त्रिवेन्द्रम	4,000
7.	पश्चिमी हिमालय कामगारों पर सेमीनार एवं सम्मेलन	हिमालय सेवा संघ, नई दिल्ली	1,000
8.	चौदहवीं भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस	भारतीय समाज विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	4,5000
9.	भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समिति का 50वां वार्षिक सम्मेलन	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	45,000
(ग)	**अनुसंधान अध्ययन**		
1.	अनुसंधान अध्ययन अंडरस्टैंडिंग इनफारमेलिज्म पर केरल के औद्योगिक विकास के कुछ पहलुओं की जांच	लघु उद्यम एवं विकास संस्थान, कोचीन	90,000
2.	"भारत के मूल आवश्यकता मॉडल का 1970 आधार से 1984 आधार पर अद्यतन तथा अन्य उपभोक्ता से सम्बद्ध सुधारों" पर अनुसंधान अध्ययन	सिस्टम रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे	85,000

क्रम सं	विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राशि (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	मध्याह्न भोजन की लागत प्रभावशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रमों का गहन अध्ययन जिनमें प्रारम्भिक शिक्षा अवस्था (6 से 11 आयु वर्ग) में विद्यार्थियों के नामांकन उपस्थिति और उनके स्कूल में रहने पर विशेष ध्यान दिया गया है।	जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	70,000
4.	पूर्वी भारत में ऊर्जा, वानिकी स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित अध्ययनों का मूल्यांकन	सी आर ई एस एस आई डी ए, कलकत्ता	25,993
5.	पूर्वी भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन	सी आर ई एस एस आई डी ए, कलकत्ता	26,000
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मूल्यांकन	आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।	1,00,000
7.	सिंचाई की लागत और उत्पादकता का अध्ययन एक दीर्घावधिक परियोजना	मद्रास अध्ययन विकास संस्थान, मद्रास	24.000
8.	आठवीं और बाद की दो योजनाओं के लिए निदर्शी डाटा सहित एक वेज गुड्स कम बेसिक सर्विसेज मॉडल तैयार करना	कमान अध्ययन और सिंचाई प्रबंध संस्थान, बंगलौर	20,000
9.	विशाखापट्नम के महानगरों तथा इसके भीतरी प्रदेश के विकास का एकीकृत दृष्टिकोण	विकास एवं आयोजना अध्ययन संस्थान, विशाखापट्नम	10,000
10.	"सार्वजनिक संवितरण व्यवस्था की समीक्षा" पर अध्ययन	विकास अध्ययन संस्थान जयपुर	30,000
11.	प्रौद्योगिकी की समस्या उद्योग विन्यासित" पर अनुसंधान अध्ययन गुजरात में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का अध्ययन	सरदार पटेल अर्थशास्त्र तथा सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	20,000

अनुबन्ध–2

वर्ष 1990-91 के दौरान पूरे किये गये अध्ययनों तथा प्राप्त रिपोर्टों की सूची

1. विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में खेत की फसलों के लिए उर्वरकों की प्रतिक्रिया-कृषि और ग्रामीण विकास केन्द्र
2. चिरकालिक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई तथा जल संभरण प्रवंधन की उपयोगिता कोइलासागर सिंचाई परियोजना-ए पी और वानी विलास सागर सिंचाई परियोजना, कर्नाटक-भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद।
3. सोयाबीन उत्पादन की समस्या तथा संभावनाएं मध्य प्रदेश के विपणन तथा प्रोसेसिंग-विकास अध्ययन संस्थान, भोपाल।
4. राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन उद्योग की वित्तीय तथा परिचालन व्यवहार्यता उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
5. शहरी सपुदायों के लिए पोर फ्लश वाटरशौल शौचालय कार्यक्रम के वास्तविक पहलुओं का अनुरक्षण, इंजीनियरी और मानकीकरण के बारे में मूल्यांकन अध्ययन-सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली।
6. विभिन्न पर्यावरणीय तथा तकनीकी स्थितियों के अंतर्गत उत्पादकता इसका प्रभाव तथा सिंचाई प्रबंधन-तमिलनाडु की द्विधरातलीय सिंचाई व्यवस्था का अध्ययन-मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास।
7. अंडरस्टैडिंग इनफार्मेलिज्म - केरल औद्योगिक विकास पहलुओं की जांच लघु उद्यम तथा विकास संस्थान, कोचीन।

31.3.1991 को योजना आयोग (भारत सरकार) का संगठन चार्ट
(सलाहकार तथा प्रभागाध्यक्षों के स्तर तक)

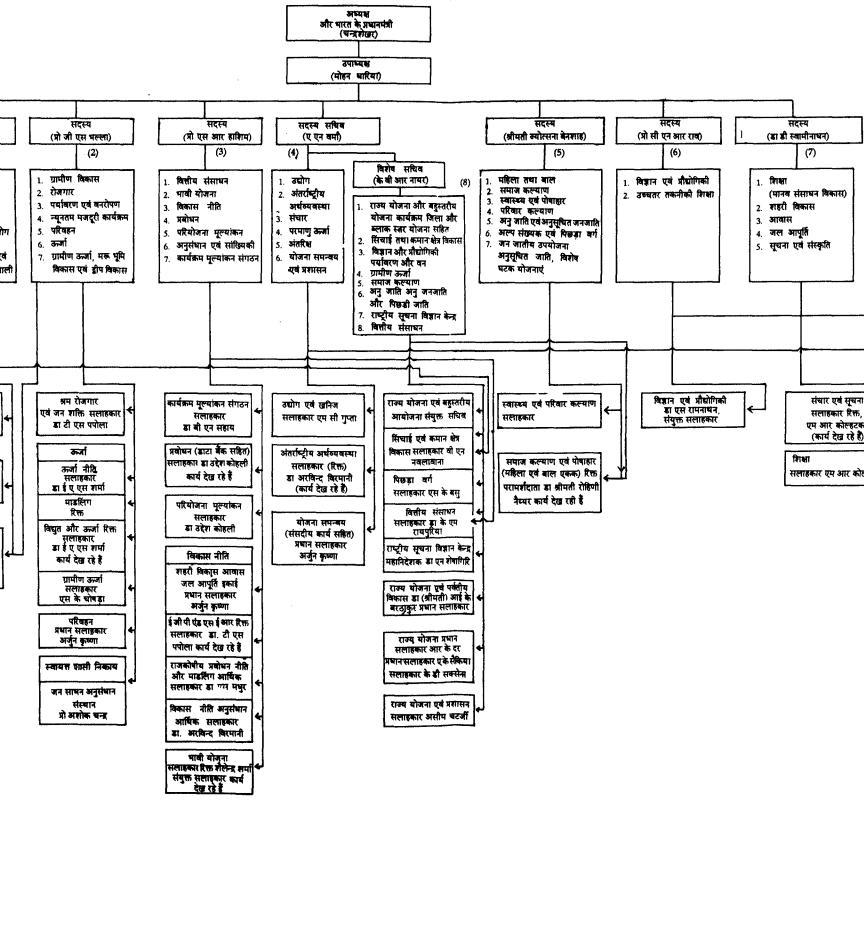

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002